

&gt;

Title: Discussion on Motion for consideration of the Insurance (Amendment) Bill, 2021 (Bill Passed).

**THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** Sir, I rise to move:

“That the Bill further to amend the Insurance Act, 1938, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

... (*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** माननीय मंत्री जी, अगर आप बिल के बारे में बताना चाहती हैं, तो बता दीजिए ।

...(व्यवधान)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, thank you very much for giving me this opportunity to talk on the Insurance Bill. ... (*Interruptions*) Insurance sector requires a lot of capital because it is a very capital-intensive sector and it requires long-term capital. ... (*Interruptions*) The House is very well aware that foreign investments up to 26 per cent was allowed in the year 2000. ...(*Interruptions*)

**12.20 hrs**

*At this stage, Shri Vinayak Bhaurao Raut and some other*

*hon. Members left the House.*

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** After that, in 2015, the limit was raised to 49 percent of the paid-up capital of such company, which are Indian-owned and Indian-controlled. The outcome of 2015 Amendment actually has resulted in FDI inflows of over Rs. 26,000 crore into this country, that is, between 2015 and now Rs. 26,000 crore have come in the name of FDI for insurance sector. There are about 28 such companies, which then accessed the FDI because the ceiling was raised, and 12 of the new companies, which have come into this country have 26 percent FDI taken from Foreign Direct Investments. So, 12 new companies with 26 percent FDI have come into the market.

Now, asset under management -- meaning the total assets, which are under the management of the insurance sector, which have come in now -- saw a 76 per cent hike in five years. It means that after the FDI ceiling has been raised the asset under total management in the insurance sector has gone up by 76 percent whereas the GDP during that period has grown only by 63 percent. So, just after 2015, where there were only 53 companies in insurance, 656 have come in now and three more have joined in. While there was only one reinsurer, now you have 12 reinsurers and where there was no listed company under insurance, now there are six listed companies. So, the change in 2015 of raising the FDI limit from 26 per cent to 49 percent itself has brought in such a drastic change.

In the Budget of July, 2019, I had said that there could be raising of FDI in several sectors and one of which I had mentioned was insurance, which was then being proposed. Now, post July, 2019 Budget statement, the insurance regulator has had a lot of discussion with stakeholders, a lot of insurers, promoters of banks and also with the trade bodies as regards raising the limit from 49 to 74.

The insurance company's situation today is that they are facing severe liquidity pressures, facing capital constraints, and hence, facing solvency-related issues also. It is very important for us to recognise that the insurance sector, those which are in public sector is one set, and many more times of that are there in private sector also. So, if growth capital is very hard to come by, then there will be a stress situation and in order that the stress is not left to be unattended, we need to raise the FDI limit. This has been recommended by the regulator. Further, the pandemic has caused a certain stress of liquidity for them.

We all are aware that the Central Government is borrowing and the State Governments are borrowing. So, that liquidity, which is available in the debt market is being sourced by both the Governments -- Centre and States -- and also by private corporates. So, there will be a lot of pressure on the debt market also. So, it is necessary for us to open FDI.

I would not get into greater detail at this stage. It is so critical that we need to pass this. The Rajya Sabha has had an elaborate discussion, and questions were answered. So, I shall do the same here too for the hon. Members. So, I would like to have this Bill taken up for consideration, and eventually for passing also.

**HON. CHAIRPERSON** : Motion moved:

“That the Bill further to amend the Insurance Act, 1938, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

**SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB)**: Thank you, Mr. Chairperson, Sir, this is a small Bill but it has large implications and it

will have very large implications, if not ominous implications in the times to come. This particular legislation which the hon. Finance Minister has brought to raise the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent, should not be seen in isolation. It is a part of a larger strategy which involves privatisation of banks, disinvesting in public sector companies, and essentially is predicated upon trying to, kickstart a sluggish economy because of the wrong decisions which have been taken over the past couple of years, and along with that, try and fill the large hole in the finances of the Union Government, which is the size of almost Rs.18 lakh crore today.

As the hon. Finance Minister was rightly pointing out, India's insurance sector was open to foreign capital in 2000, when 26 per cent of FDI was permitted. Again, in 2015, when the FDI was raised to 49 per cent, and now, of course, the Government proposes to raise it to 74 per cent. But, Sir, here lies the very interesting tale, and the interesting tale is that in 2004, when the then Finance Minister, Shri P. Chidambaram proposed that the FDI limit be raised from 26 to 49 per cent, the then former Prime Minister of India, late Atal Bihari Vajpayee, on the floor of this House said – 'हम विरोध करते हैं ।'

In 2008, when a Bill was introduced to raise the FDI limit from 26 to 49 per cent, and the Bill was subsequently referred to a Standing Committee of Parliament, which was then headed by the former Finance Minister of the NDA/BJP Government, Shri Yashwant Sinha and the Standing Committee came back with the recommendation that the FDI limit should not be raised.

In 2012, I recall, I was then in Government, another attempt was made to raise the FDI limit from 26 to 49 per cent. But we were not

able to breach the wall that the then Leader of Opposition, late Sushma Swaraj, and the then Leader of Opposition in Rajya Sabha, late Arun Jaitley, had collectively put together. But interestingly, in 2014, when the NDA/BJP Government came to office, there is a somersault and the FDI limit in insurance was raised from 26 to 49 per cent, not by way of a Bill but by way of an Ordinance. It was brought to the house subsequently.

Sir, the short point I am trying to make here is that it seems that our position on issues depends on where we currently sit or we were then sitting. Therefore, while the Finance Minister has made a very passionate plea as to why the FDI limit should be hiked from 49 to 74 per cent, I thought it would be worth the time of this House to recount that the same Bharatiya Janata Party when it was on the Opposition Benches, where we are currently sitting, for 10 long years, opposed the FDI limit to be increased from 26 to even 49 per cent, which they did subsequently.

Mr. Chairperson, Sir, the insurance sector in India today is worth Rs.7.63 lakh crore, according to the Insurance Regulatory Development Authority. There are 67 insurance companies, public and private, 24 life insurance companies and 10 global reinsurance companies. LIC is the only public sector company which deals with life insurance and, interestingly, it has 66 per cent of the market share as compared to others.

The conceptual question that we need to ask ourselves today is, are we scared of foreign direct investment? The answer to that is an emphatic 'No' because in 1991, we were the original liberalisers of the Indian economy. I was listening with some amusement when the hon. Finance Minister replied to the budget discussion and she said that while

they were the original liberalisers, we had actually liberalised the Indian economy under the force of circumstances. I would like to take this opportunity to tell her that, ultimately, nothing happens in a vacuum. Everything is contextual. Between 1989 and 1991, the manner in which the global landscape was changing, it required a reset of both India's economic and foreign policy priorities so that India could be on a high growth trajectory. That decision of 1991 by the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, when he was the Finance Minister, to liberalise the Indian economy is vindicated by the fact that every successive government from 1991, and it has been three decades, has not diverted from that basic premise that India needs to integrate its economy with the global economy.

Today the question is not what to open up, the question today is how much to open up and which sector to open up. The reason why I want to draw this fine distinction is to unequivocally make it clear that our opposition is not to the liberalisation of the Indian economy, our opposition is to certain sectors because of the kind of strategic consequences they have for 138 crore people which my dear friend, who is not in the house now, the hon. Minister of State for Finance, refers to every time he replies to a question in this House. So, the reason why we are opposing raising the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent is because of the situation in 2008. I would like to take you back to 2008 when the great economic meltdown took place, when banks and financial institutions with over 300 years of existence started tumbling like ninepins, when even entire countries like Iceland almost went under water, their economies completely collapsed and they barely survived a sovereign bankruptcy, India came out of that crisis unscathed primarily because our insurance sector was still substantially nationalised, our

banking sector was substantially nationalised and we had a powerful public sector in this country. That is why we were able to survive the great onslaught of 2008 which took many nations, many institutions and many banks down with it in 2008. Therefore, Mr. Chairperson, Sir, the difficulty today is that India's economy is in a crisis.

As I pointed out at the commencement of my speech, this is not something which happened due to COVID-19. The process commenced with demonetisation in 2016. It got exacerbated by the ill-conceived or tardy implementation of the Goods and Services Act and, subsequently, certain decisions which were then taken whereby rather than applying a demand-side stimulus, the hon. Finance Minister decided to apply a supply-side stimulus by giving a bailout of Rs. 1,45,000 crore to the corporate sector of India which did not result in the economy coming out of its sluggish trajectory and picking up.

The economic prescription which this Government now seems to have come to is that you privatise our public sector banks, you disinvest all those public sector companies which have been created over the past 70 years with taxpayers' money, and most importantly you partially disinvest the Life Insurance Corporation of India by listing the IPO on the exchange and then you allow 76 per cent of foreign direct investment to come into our insurance sector. That is why I say that this may be a small Bill but it has very large ominous implications.

Very respectfully I would like to point out, Mr. Chairperson, Sir, that selling the family silver is not the way to revive the economy of the family. If the economy of this country has to be revived, correct policy prescriptions need to be applied which unfortunately have been missing over the past couple of years when the economy of this country has been

under the stewardship of the NDA-BJP Government. May I also remind that this is the same Indian economy which grew at an average rate of almost 7.8 per cent of GDP per annum for ten years continuously despite the great economic meltdown, the Eurozone crisis of 2011, and very strong headwinds in the crude oil sector from 2008 almost till 2012?

Therefore, Mr. Chairperson, Sir, very respectfully I would like to point out that the prescription which is being applied to revive the Indian economy is a trajectory that we do not agree with, and we also do feel that liberalising FDI limits in the insurance sector is going to go against the rights of millions and millions of small insurance holders. That is because, notwithstanding the safeguard which the Finance Minister I think is contemplating, it does not seem to be a part of this legislation, that 50 per cent of the Directors will be Indian nationals and there would be a reserve fund, ultimately when the reins of India's insurance companies are going to be held by foreign nationals, by large corporate behemoths, I am afraid, I am compelled to use this term, we would be entering into a new form of colonialism.

Therefore, Sir, under these circumstances, I would humbly request the Finance Minister to reconsider the Government's decision to hike foreign direct investment in the insurance sector; and we would like to unequivocally, vociferously, and completely oppose the current legislation which has been brought by the Government.

Thank you very much, Mr. Chairperson.



**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, 2021 में जो संशोधन हमारी सरकार लेकर आई है, इस की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अत्यंत आभारी हूं कि हमारे एक विद्वान साथी, कांग्रेस पार्टी के मनीष जी ने कहा है कि इस बिल को रिकन्सिडर किया जाए। मैं समझता हूं कि आज इस इंश्योरेंस बिल में जो अमेंडमेंट आया है, आखिर इंश्योरेंस बिल के अमेंडमेंट का उद्देश्य क्या है, इंश्योरेंस का जीवन में क्या रोल है, या किसी व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस का क्या महत्व है? यह सर्वविदित है कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस कराता है, तो वह अपनी बचत से नॉमिनल, अंशदान दे कर या प्रीमियम दे कर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, एंश्योर्ड कराता है, जिससे कभी उस पर आपदा आ जाए, कभी उसके जीवन में कठिन समय आ जाए, ईश्वर न करे कि कभी दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में, कठिन दिनों में उसके एवं उसके परिवार के लिए इंश्योरेंस काम आता है।

इस तरह से यह संकट की घड़ी में काम करने वाला है और उस पूंजी में हम केवल अंशमात्र देते हैं। हमें यह देखना होगा कि आज वर्ष 2019 में पूरे देश की आबादी में इंश्योरेंस का पेनीट्रेशन कितने प्रतिशत है? आज वर्ष 2019 में देश की आबादी में इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन केवल 3.76 प्रतिशत है। वर्ष 2014 में 26 प्रतिशत एफडीआई था, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने भी किया है। वर्ष 2014 में जो एवरेज था, वह मात्र 3.3 प्रतिशत था। वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने एफडीआई की लिमिट को 26 प्रतिशत से इंक्रीज करके 49 प्रतिशत किया, तो उससे 26,000 करोड़ रुपये एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में आया। आज भी 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के अमेंडमेंट के बाद आज हमारा इंश्योरेंस में पेनीट्रेशन 3.76 प्रतिशत बढ़ा है। आज दुनिया का ग्लोबल एवरेज क्या है? आज पूरी दुनिया का ग्लोबल एवरेज 7.23 प्रतिशत है। हम अभी बहुत पीछे हैं। हम एक तरफ भारत के लोगों को

सुरक्षा देने की बात करते हैं, भारत के लोगों को दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आज इसकी इसलिए भी जरूरत है ।

मैं माननीय मनीष तिवारी जी को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में राज्य सभा की एक सलेक्ट कमेटी बनी थी, वह आपकी ही कमेटी थी और आपके ही सदस्य थे । उस सेलेक्ट कमेटी ने वर्ष 2014 में जो रिक्मेंडेशंस किए थे, उसमें यह कहा गया था कि हमें आज इस इंडियोरेंस में एडिशनल कैपिटल की बहुत जरूरत है । यह जरूरत देश की ग्रोथ के लिए है । There is a need of additional capital for growth. Enhanced foreign investment will increase insurance cover and will help transfers of technical knowhow and will help in innovation in the industry. यह सलेक्ट कमेटी का ही कहना है । आज हम किसी बिल की बात करते हैं, तो उसे सलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करते हैं । जब बिल सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर आता है, तो निश्चित तौर से सदन उन चीजों को अडॉप्ट करता है । वर्ष 2000 के पहले जब कोई एफडीआई नहीं था और आज कहते हैं कि फारैन इंवेस्टमेंट आएगा, तो इसमें सुरक्षा क्या है? मैं माननीय मंत्री जी और अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज इसके सेफ गार्ड्स भी सुनिश्चित किए गए हैं । अगर हम 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत एफडीआई के लिए इस बिल का अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेफगार्ड भी देंगे कि जो कंपनी इंवेस्ट करेगी, उसमें majority of the directors on the Board of Insurers and key management persons should be resident Indians.

निश्चित तौर से यह भारत के हित में है । इस देश की आने वाली सक्सेस या ग्रोथ स्टोरी के हित में है । यह बिल देश के लोगों के इंवेस्टमेंट को सिक्योर करने वाला है । यह देश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला बिल है, क्योंकि जो भी फारैन इंवेस्टमेंट आएगा, उस फारैन इंवेस्टमेंट में उस कंपनी के लिए हमारे बोर्ड के जो भी मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे, वे इंडियंस होंगे, अन्य अधिकारी, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर्स key management persons should also be resident

Indians. मुझे यह लगता है कि यह निश्चित तौर से एक सेफ गार्ड्स है । माननीय मंत्री जी मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने भी एफडीआई के लिए अमेंडमेंट किया है, लेकिन उससे ज्यादा भारत के हितों की रक्षा के लिए सेफ गार्ड्स लगाया है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें at least 50 per cent of the directors on the Board of Insurers should be independent directors. जब किसी भी कंपनी या बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हित धारकों की रक्षा करते हैं । वे आने वाले निवेश के हितों की रक्षा करने वाले होंगे । Insurance companies will have to retain a percentage of profit as a general reserve. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, उस कंपनी के प्रॉफिट में जो जनरल रिजर्व होगा, उसे रखा जाएगा । वह कंपनी की सेफ्टी, क्रेडिबिलिटी और असेट्स को बढ़ाएगा ।

मैं आदरणीय मनीष तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि एक्ट के सेक्शन 27 में जो मैनेट्स हैं, उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि Section 27 of the Act mandates maintaining assets in India so that companies can meet their insurance claims. निश्चित रूप से सेक्शन 27 को अमेंड करके भारत में एसेट मेनटेन करना पड़ेगा । बाहर का निवेश होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हमारे लोगों के क्लेम की सुरक्षा हो, क्लेम की गारंटी हो या हमारे हितधारकों या स्टेक होल्डर्स के निवेश की या इश्योरेंस की सुरक्षा हो, उसके लिए हमारी एफडीआई जो भी करेगी, उनकी इश्योरेंस कम्पनियाँ भारत में एसेट्स मेनटेन करेंगी ।

आखिर एसेट्स में क्या है? आप क्यों नहीं कंसीडर करने की बात कर रहे हैं? अगर उस एसेट्स में यहाँ बैंक एकाउंट होगा, उस एसेट्स में भारत में प्रॉपर्टी होगी, अगर उस एसेट्स में कैश मेनटेन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो भी एफडीआई है, चाहे प्रॉपर्टी, बैंक एकाउंट्स या कैश हो, उससे भारत के लोगों को क्लेम दिया जाएगा ।

इसलिए मुझे लगता है कि यह बिल आज इस देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला है। मैं कहता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट किस ऑब्जेक्टिव से लेकर आई है? What is the objective of Government's foreign direct investment policy? आखिर हमने भी एफडीआई की पॉलिसी बनाई है, आपने भी बनाई थी, तो उस एफडीआई की पॉलिसी को कम-से-कम पढ़िए तो। एफडीआई की पॉलिसी पर विचार कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि यह बिल सर्वसम्मति से पारित होगा। अधिष्ठाता महोदय, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

One of the objectives of Government's foreign direct investment policy is supplementing domestic long-term capital. मतलब हम अपने देश के उस डोमेस्टिक लांग टर्म कैपिटल के लिए एक तरह से यह एडिशनल सपोर्ट है। हमारा जो घरेलू निवेश होता है, जो अंदरूनी निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको भी सप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको भी एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। किसी भी सरकार की जो पॉलिसी होती है, हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सप्लीमेंट कर सकें, आज का बिल वही है, जिसे हमने 74 परसेंट इंक्रिज किया है। इसलिए निश्चित रूप से यह बिल देश के हित में है, लोगों के और इस देश की ग्रोथ के हित में है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के हित में है। इसलिए उस ऑब्जेक्टिव को देखकर माननीय मंत्री जी ने यह किया है।

Then, is the technology and skills for the growth of the economy. इस बात से तो आप सहमत होंगे, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, कि जब हम कोई बिल पास करते हैं, तो वह देश के हित को देखकर करते हैं, देश के भविष्य को देखकर करते हैं। आज यह एफडीआई आने में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, अगर बाहर से कोई एफडीआई आती है, तो निश्चित रूप से हमको टेक्निकल नो-हाउ भी मिलता है, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती है। उससे गतिशीलता आती है।...(व्यवधान)

Technology and skills for the growth of the economy and insurance sector, इंश्योरेंस सेक्टर और देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन इंवेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाएगा, दुनिया के स्किल्स पर भी असर पड़ेगा । इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं ।

Another objective is technology and skills for the growth of the economy and the insurance sector and thereby enhance insurance penetration and social protection. इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, जो इंश्योरेंस पेनीट्रेशन है, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही किया, आज वह पूरे विश्व में 7.23 परसेंट है, जबकि भारत में वर्ष 2019 में इंश्योरेंस पेनीट्रेशन केवल 3.76 परसेंट था । यह आज हमारी चिन्ता है । हमारी सरकार की चिन्ता है कि किस तरह से लोग इस देश की आबादी के मात्र 3.76 परसेंट लोगों ने ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली है । लेकिन हम तो हर व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को बीमित करना चाहते हैं ताकि उसके कठिन समय में निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा हो सके । इस दायरे का विस्तार करने के लिए अगर हमें 15 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आज इसका अमेंडमेंट करना होगा । अमेंडमेंट करने से डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट के साथ-साथ फॉरेन इंवेस्टमेंट आएगा, उससे ग्रोथ होगी और इससे जनता के इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा । इस बिल के आने से निश्चित रूप से इसका प्रत्यक्ष लाभ इस देश के 130 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसे हम करना चाहते हैं ।

आज आप देखें कि जो इंश्योरेंस डेनसिटी है, उसका पर-कैपिटा प्रीमियम कितना है? अगर आप विश्व का देखें, आज जो इंश्योरेंस डेनसिटी है, वह 780 डॉलर है । आज विश्व में पर-कैपिटा प्रीमियम पूरी दुनिया में 780 डॉलर का है ।

सभापति महोदय, भारत में वर्ष 2019 में पर-कैपिटा प्रीमियम 78 डॉलर्स थी । वर्ष 2015 में यह मात्र 55 डॉलर्स थी । वर्ष 2015 में हमने 49 परसेंट का

अमेंडमेंट किया था । वर्ष 2015 में 55 डॉलर्स से बढ़कर यह वर्ष 2019 में 78 डॉलर्स हो गई और यह उसी की देन है कि जो हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में अमेंडमेंट किया था । वर्ष 2015 के 55 डॉलर्स से बढ़कर लोगों की सुरक्षा 78 डॉलर्स वर्ष 2019 में हो गई है । अगर हम विश्व के सापेक्ष देखें, अगर हम दुनिया की तुलना में देखें तो हम वन-टेंथ हैं । कहां वर्ल्ड की पर-कैपिटा प्रीमियम 780 डॉलर्स है और हम उस वर्ल्ड एवरेज के वन-टेंथ हैं ।

अगर हम विश्व से तुलना कर रहे हैं, अगर हम विश्व के सापेक्ष अपने भारत में इस इंश्योरेंस बिल के माध्यम से देश की जनता के हितों की, हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, ताकि देश के राज्य संकट के समय अधिक से अधिक सुरक्षित रहें और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का उन्हें लाभ मिले, इसलिए हमें इसका विस्तार करना चाहिए । इसका मुख्य उद्देश्य ही यह है - 'need more insurance cover for Indian citizens'. इससे भी असहमति हो सकती है? इस बिल का उद्देश्य केवल भारत के अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करने का है । इसलिए, मुझे लगता है कि इस बिल को सर्व-सम्मति से पारित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है । यह ऐसा विषय नहीं है, जिसमें सत्ता, पक्ष-प्रतिपक्ष की बात हो ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम भारत के अधिक से अधिक लोगों को इसके तहत कवरेज देना चाहते हैं । This will help reduce cost of insurance, which will happen with more participation from private players and Foreign Direct Investment. निश्चित रूप से यह बिल, अभी जो प्रीमियम है या जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को भी कम करने वाला है । आज हम इस बिल को अमेंड कर रहे हैं । इससे देश की जनता पर जो आज इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आज इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में भी अगर उनकी कीमतों को, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने वाला कदम हमारी सरकार उठा रही है, तो यह इस सदन में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और देश की जनता इसका स्वागत करेगी । इस अमेंडमेंट बिल से यह

लाभ होगा । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) बिल है, इसमें हमने एस्टीमेट किया है । Estimates indicate that the insurance companies might require additional Rs.15,000 crore of capital over the next three years, which could be made easier with enhancement of the FDI limit.

मैं आपके माध्यम से सदन में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगले तीन वर्षों में हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो पूंजी की आवश्यकता थी और आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुईं । आप देखिए कि उन परिस्थितियों के बाद भी आज हमने भारत में किस तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को, तेजी से आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया । कोविड-19 में हमें क्या यह नहीं महसूस हुआ कि पूरी दुनिया एक तरीके के माइंडसेट में आ गई है? पूरी दुनिया को लगा कि अब मिलकर काम करना होगा, जिसकी पहल कर के भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हम केवल भारत की ही रक्षा नहीं करेंगे बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लोगों की रक्षा करने के लिए भी काम करेंगे ।

हमने इस काम को किया, जहां हम अपने यहां एक पीपीई किट का निर्माण नहीं करते थे, देश में पीपीई किट चाइना से आती थी, एन-95 मास्क नहीं था, हमारे यहां वेंटीलेटर्स बाहर से – यूरोप, अमेरिका और जर्मनी से आते थे । इस कोविड-19 की चुनौती में 100 कंपनियां एमएसएमई ने खड़ी कर दीं, हम आज पांच लाख से ऊपर पीपीई किट्स बनाने लगे । हम जिन परिस्थितियों में कोविड-19 के दौरान आए, पूरी दुनिया ने कोविड-19 से यह सलीका सीखा कि हमें मिलकर काम करना है । आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस कोविड-19 ने हमें एक लैसन दिया है । आज हम अपने देश को दुनिया की बाकी इकोनॉमीज़ के साथ देखते हैं । अपने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य इसी सदन में निर्धारित किया गया था कि आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर्स की होगी ।

एक ऐसा एक्ट ऑफ गॉड या जो भी परिस्थितियां पैदा हुईं, जिनकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां पैदा हुईं और दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौतियां पैदा हुईं । हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और देश के 130 करोड़ लोगों के लिए यह केवल आह्वान नहीं है, मैं समझता हूं कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है ।

यदि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आज आपदा को अवसर में बदलना है, तो देश की 130 करोड़ जनता उस आपदा को अवसर में बदलने का काम करके दिखा रही है । पूरी दुनिया के सामने देश की जनता ने एक मैसेज दिया है कि हम कठिन दौर में भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं । देश की इकोनॉमी में केवल जीडीपी को ही नहीं देखना है, यदि हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ओवर ऑल होलिस्टिक टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, तभी होगा । इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि *benefits of the Insurance Act for increasing the Foreign Direct Investment (FDI) limit to 74 per cent from the present 49 per cent. 49 परसेंट से 74 परसेंट करने में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस अमेंडमेंट से अगले तीन सालों में भारत में कम से कम 15 करोड़ रुपये की एफडीआई आएगी । As of March 2020, average foreign investment in 23 life insurance companies was 37.41 per cent. Only in the case of nine private life insurers, the foreign investment has touched 49 per cent.*

इससे स्पष्ट होता है कि जब 29 परसेंट था, उस समय तक हमारा 37.41 परसेंट इंश्योरेंस कम्पनीज में हमारा फॉरेन इंवेस्टमेंट का हिस्सा था । यदि हम अमेंडमेंट करेंगे, तो इसमें हमारी जो 9 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनीज या फॉरेन इंवेस्टमेंट है, यह 49 परसेंट होगा । अब यदि 74 परसेंट होगा, हमने जो मार्च 2020 की रिपोर्ट देखी है कि 26 से 49 परसेंट हुआ था, तो उससे भारत में निवेश बढ़ा था और आज जब 74 परसेंट निवेश होगा, तो निश्चित तौर से भारत में



एक बड़ा पूंजी निवेश होगा, जिससे भारत के डोमेस्टिक सैक्टर को एक एडिशनल केपिटल सपोर्ट मिलेगा, जिससे भारत के विकास को लाभ होगा । In case of 21 private general insurers, the average FDI stood at just 28.18 per cent. In the standalone health insurance industry, the average FDI is 30.22 per cent. For and for the overall non-life industry, the average FDI stood at 20.22 per cent. हैल्थ इंश्योरेंस में भी पहले एफडीआई इंवेस्टमेंट 20.22 परसेंट था, पिछले दिनों जब हमने अमेंडमेंट किया, तो वह बढ़कर, अकेले हैल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, में एवरेज एफडीआई 30.22 परसेंट हुआ है ।

अधिष्ठाता महोदय, अब यदि एफडीआई इंवेस्टमेंट 49 परसेंट किया है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विधेयक है । मैं समझता हूं कि यह विधेयक देश के सामान्य व्यक्ति को सुरक्षित करने वाला है, उनके भविष्य को ऐसी कठिन परिस्थिति में सेक्योर करने वाला है चाहे कोई दुर्घटना हो या कोई आपदा हो या परिवार के समक्ष कोई परेशानी आ जाए । पहले अमेंडमेंट से 30.22 परसेंट लाभ बढ़ा था, मुझे लगता है कि जो पहले 20.22 परसेंट ही था, अब यदि 74 परसेंट हो जाता है तो देश में निश्चित रूप से फॉरेन इनवेस्टमेंट बढ़ेगा । The increase of the FDI limit will provide insurance companies with committed funds to improve the penetration of insurance in the country.

### **13.00 hrs**

निश्चित रूप से जब एफडीआई को इंक्रीज किया जाता है तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका जो कमिटेड फंड होगा, उससे देश में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का विस्तार होगा । हमारी सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि हम देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकें और इंश्योरेंस पालिसी में उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर आच्छादित कर सकें और कवरेज दे सकें । यह इस बिल के अमेंडमेंट से निश्चित तौर से होगा । It will also bring in better technical know-how, innovation and new products to the advantage of the consumers. इसका मतलब यह है कि टेक्नीकल नो-हाऊ

नहीं आएगा । इस बात का मैंने पहले भी उल्लेख किया है । मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब एफडीआई आएगा, तो टेक्नीकल नो-हाऊ के साथ-साथ इनोवेशन आएगा और हम इस सैक्टर में कैसे गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा । मैं कल रायपुर में था । वहां पर वेटरेन क्रिकेटर्स की वर्ल्ड सीरीज हो रही थी । इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा था । सचिन रिटायर हो चुके हैं, सहवाग रिटायर हो चुके हैं । वे इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या आदि लोग खेल रहे थे । उस मैच में बड़ी संख्या में दर्शक थे, लेकिन आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि उसका मैसेज क्या था । वह वर्ल्ड सीरीज इसलिए खेली जा रही थी, जिससे there should be a promotion for road safety, ताकि रोड सेफ्टी का प्रमोशन हो, क्योंकि क्रिकेटर्स के कई फॉलोवर्स होते हैं और वे उनके सभी मैच देख सकें । कल जिस तरह से सचिन ने वहां पर मैसेज दिया कि अगर आप सड़क पर निकलें तो हेलमेट पहनें, वह अनुकरणीय है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के 1 परसेंट व्हीकल्स हमारे यहां हैं, लेकिन पूरे विश्व में एक्सिडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ्स हमारे यहां 11 परसेंट होती हैं । हेल्थ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं । आज भी इंडिया में हाइएस्ट डेथ्स रेट रोड एक्सिडेंट्स के कारण है । इन परिस्थितियों में हम साढ़े चार लाख एक्सिडेंट्स हर साल देख रहे हैं । उनमें से डेढ़ लाख लोगों की मौतें हो रही हैं । हर 4 मिनट में एक मौत 15 साल से 48 साल की उम्र के लोगों की हो रही है, जो कि वर्किंग फोर्स हैं और इस देश का भविष्य हैं । आज उस मैच से पूरे देश को हम यह मैसेज दे रहे हैं कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है और किस तरीके से रोड सेफ्टी की मदद से हम एक्सिडेंट्स में होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं । इससे एक तरह से एक इनोवेशन भी आएगा । New products to the advantage of the consumers, जो हमारे हितधारक होंगे, उनके लिए न्यू प्रॉडक्ट भी होगा । अतः मैं

समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट ऐक्ट को लाने से इसके बेनिफिट्स मिलेंगे । Our Government is very confident that the increase in FDI will make the insurance sector more competitive, transparent, and efficient and ultimately, this will improve business prospects and lead to greater employment generation in the country.

सभापति महोदय, अब एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं आना चाहता हूँ । यह केवल लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेगा और न ही यह केवल उनके इंश्योरेंस की बात करेगा । मैं समझता हूँ कि यह इम्प्लॉयमेंट को भी जेनरेट करेगा । मनीष जी चले गए हैं, नहीं तो शायद इन बातों को, जो मैं कह रहा हूँ, उनसे वह कदाचित् सहमत होते । हम अगर इस एफडीआई को ला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि काँपीटीशन भी बढ़े, एक हेल्दी काँपीटीटिव मूड हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी बढ़े । हमारी सरकार का यह केवल नारा ही नहीं, बल्कि एक गोल है । इस सरकार का यह लक्ष्य है । मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर चाहे वे पिछली सरकारों में कोल स्कैम हों, टू जी घोटाले हों या कुछ और, लेकिन आज आप देखिए कि कुछ दिन पहले कोल एंड माइन्स संशोधन बिल प्रह्लाद जोशी जी लेकर आए । उन्होंने किस तरह से कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं और इस संशोधन बिल को पास करने से जो एक-एक पैसा आएगा, वह हम राज्यों को देंगे । क्या इस तरीके से कभी फेडरल स्ट्रक्चर में होता था? फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज यह कदम उठाया जा रहा है । हमने उस ऐक्ट को अमेंड किया, जिससे आय बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ वह आय सब राज्यों को दी जाएगी । मैं समझता हूँ कि अगर इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ट्रांसपेरेंसी होगी, एक काँपीटीशन होगा और फिर अल्टीमेटली इससे निश्चित तौर पर हमारा बिजनेस भी इम्प्रूव होगा । इसके साथ ही साथ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी बहुत इम्प्रूव होगा । हमारे देश की जो एक जरूरत है, need of the

hour है, greater employment generation in the country की दिशा में हम बढ़ने का काम करेंगे ।

हम उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे । मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है । This decision is taken to relax the FDI cap in the insurance sector after repeated demands by the industry over the years. यह केवल सेलेक्ट कमेटी की ही माँग नहीं है, इस देश की इंडस्ट्री की भी माँग है ।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । हमारे देश में इस निर्णय से, जो हमने एफडीआई कैप को इंक्रीज किया है, पिछले कई सालों से यह लगातार हमारी इंडस्ट्रीज की माँग थी । उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि इस एफडीआई को बढ़ाया जाए ।

महोदय, अगर आपने घंटी बजा दी है तो मैं जल्दी से एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ । Experts had earlier suggested that the move will most likely benefit the small players. Where currently the Indian partner is not able to bring in more capital to boost growth, in such cases the foreign partner will have the opportunity to bring in more capital and take control of the companies so that they can compete with the larger players. Even private equity funds could pick significant stakes in such companies. मतलब इससे जो हमारे इंडियन पार्टनर्स होंगे, जो हमारे छोटे लोग होंगे, स्मॉल प्लेयर्स होंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा । मुझे लगता है कि इस बिल को लाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वह अपने इस देश के एक लार्जर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी के लोगों के लिए है । The large insurance companies are well capitalised and backed by strong Indian partners. हमारे इंडियन पार्टनर मजबूती से उसके साथ रहेंगे, mostly, banks and non-banking players who would not, in all probability, set their stakes in a business where they can generate substantial free income.

इससे हमारी आय भी बढ़ेगी, इससे लाभ भी होगा । मैं समझता हूँ कि जो बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 आज माननीय मंत्री जी लेकर आई हैं, यह निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है । यह देश की 130 करोड़ जनता के हित में है । इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि इसको सर्वसम्मत पास करें । धन्यवाद ।

**SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE):** Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the Insurance (Amendment) Bill, 2021. At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister for bringing in this Bill with the blessings of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. We welcome this Bill.

The FDI in the insurance sector was 26 per cent for a very long time and later on it was increased to 49 per cent and now the Government proposes, by bringing in this amendment to the existing Act, to increase it to 74 per cent. A lot of foreign investors would look at higher stakes in the business, otherwise, normally they would not make any investment in any sector. If we take stock of the situation during the COVID-19 period, everybody around the globe, the big companies were all looking to make investments. Now, this increase in FDI to 74 per cent would offer them not only an opportunity to invest but also it would be an advantage for them. The coverage of people under life insurance is also expected to increase now. During the COVID - 19 pandemic everybody was concerned about the lives of the members of their families. Now, with liberalisation of the insurance sector, a lot of companies will be

coming into this business. We have now got around 63 companies – 24 in the life insurance business and 39 in the non-life insurance sector.

Sir, through you, I would like to request the hon. Finance Minister to see to it that a majority of our population is covered under insurance. Our country has a population of 130 crores, but unfortunately, the people covered under life insurance is only 3.76 per cent. This coverage has to be increased. The premium for taking policies has to be reduced. Everybody would like to see their families protected after an individual passed away.

Sir, earlier, when I also was a member of the UPA Government, the FDI in insurance was 26 per cent. At that time, it was not increased to 49 per cent. But later on, the hon. Prime Minister took a positive view of first increasing it to 49 per cent and then to 74 per cent now. The concept of insurance in Indian tradition can be traced back to Kautilya's Arthashastra.

Sir, I must tell you, that the concept of insurance in Indian tradition can be traced back to Kautilya's Arthasathtra, Yajnavalkya's Dharmashastra and Manusmriti. In fact, it is usually said that insurance is as old as human society itself.

Now, being the competitive market in the world itself, India has got a huge population. Everybody in the global circle is looking at India because they have got a potential market. To create the potential market, the Government has already introduced a lot of schemes for labourers, small people, and farmers. So, some more encouragement is required also.

When you see business-wise, as per investment in India, the Indian market had gross written premiums of around 96.9 billion dollars in 2017 which were expected to grow to 250 billion dollars by 2025.

I am feeling proud to say, Sir, that India is presently the 10<sup>th</sup> largest life insurance market globally along with being the 15<sup>th</sup> largest non-life insurance market globally. After this COVID-19 incidence, everybody has made non-life insurance compulsory. When you go to the banks for taking loans, you have to make sure that your industry is insured also. They have to go under the insurance limit itself. Then only they will get further loans or capital or whatever it is.

We still have a long way to go as in comparison with the industry in India, the net premiums in the United States are a total of 1.32 trillion dollars in 2019. If you see the other countries like Malaysia, Thailand and China, the penetration is going in a big way. The penetration in India has to be increased also.

Sir, regarding LIC policy holders, in our olden days, in our childhood days, LIC agents used to be there in all the villages. They used to popularise the insurance always. Now, the Government is thinking about the protection of the LIC policy holders. Through you, I would like to ask the hon. Finance Minister about it. That kind of confidence is there in all the policy holders with long premium also. They do not mind paying that. Now, new companies are coming up. People will be interested in it.

In addition, insurance products catering to speciality risks such as catastrophes and cyber security are at a nascent stage of development in

the country. The rural-urban divide also aggravates the given problem, leading to lack of desired growth in the sector.

Sir, when we are taking all these things into account, there will be a long future for this insurance sector itself. I would really appreciate our hon. Finance Minister for bringing this Insurance Bill and we support this Bill wholeheartedly. The end-consumer will also be benefited from this Bill. It will boost competition, enable consolidation, and increase insurance penetration, leading to more innovative and affordable products for the end-consumer. Thank you.

**श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी):** सभापति महोदय, मैं बीमा संशोधन विधेयक, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज सदन में यह बिल लाने का काम किया है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज से पहले, कुछ वर्ष पहले लोग इंश्योरेंस का मतलब ही सिर्फ एलआईसी समझते थे कि जीवन बीमा हो गया, वही इंश्योरेंस हो गया। कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे बदला है। देश के अंदर धीरे-धीरे यह कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है। आप उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पहले सिर्फ एक जीवन पर इंश्योरेंस होता था। लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते थे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लिया कि कहीं रास्ते में चैकिंग में दिखला सकें कि हमने इंश्योरेंस करवाया है। वह पेपर मात्र होता था, परंतु आज हिन्दुस्तान के लोग अपनी जवाबदेही को समझते हुए, इस बात का अहसास करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी करवाते हैं। अब धीरे-धीरे लोग घरों का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अब हरेक सेक्टर में इंश्योरेंस हो रहे हैं।



महोदय, ऐसी हालत में यह बहुत जरूरी है और आज कोविड-19 के बाद जो स्थिति देश में बनी है, आज लोगों को अपने जीवन का महत्व समझ में आ रहा है। एक समय था कि एक उम्र का तकाजा पूरा करने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, लेकिन आज भला-चंगा व्यक्ति भी, आज इस पूरे विश्व में जो व्यापक बीमारी है, उससे चलता-फिरता आदमी भी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। आज हमें ऐसे इंश्योरेंस की जरूरत है, जिससे भगवान न करे कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के लोग सड़क पर न आ जाएं। हम उन्हें सुरक्षा दे सकें, उन्हें एक व्यवस्था दे सकें।

महोदय, सन् 2000 में एफडीआई को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत किया गया। उसके बाद अब फिर 49 पर्सेंट को बढ़ाते हुए 74 पर्सेंट करने के लिए माननीय मंत्री महोदय इस सदन में प्रस्ताव लाए हैं। आप देखेंगे तो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम बीमा की बैठ हमारे हिंदुस्तान में है। भारत में जीडीपी के बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अनुमानित अगर मानें तो सन् 2001 में 2.71 था, जो सन् 2019 में 3.76 हो गया। अगर यही हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो 3.35 पर्सेंट ही है और जबकि सन् 2019 में गैर बीमा क्षेत्रों में 3.88 प्रतिशत है। इस मामले में पूर्व के समय में होता यह था कि र लोग लगाताइंश्योरेंस के बाद क्लेम के लिए महीनों चक्कर लगाते थे। जब से एफडीआई का आगमन हुआ है, जब से अन्य कंपनियां भी हिंदुस्तान में आई हैं, उसके बाद हमारी स्वदेशी कंपनी सहित विदेशी कंपनी भी बीमा सेटलमेंट में बहुत कम समय लेते हैं और चाहते हैं कि हम हैण्ड टू हैण्ड बीमा सेटलमेंट भी करें। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह कहना चाहूंगा कि आप जो इंश्योरेंस सैक्टर में जीएसटी 18 पर्सेंट लगाते हैं, यह कोई लग्जरी गुड्स नहीं है। इंसान अपने जीवन और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का इंश्योरेंस कराता है। इसलिए इसको पांच पर्सेंट के स्लैब में रखना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम प्रीमियम भरना पड़े।

सभापति महोदय, आज की इस परिस्थिति के अंदर विदेशी एफडीआई के आने के बाद खास कर कोविड-19 के बाद जो देश में बेराजगारी बढ़ी है, हम उन नौजवानों को इस बीमा क्षेत्र में एक अच्छे रोजगार की उपलब्धता करा सकते हैं। हम उन्हें एक अच्छा स्वावलंबी बनने का, स्वरोजगार की योजनाओं पर काम करने का एक मौका दे सकते हैं।

यह माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि आज हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनके अंदर यह क्षमता है कि वे इस सैक्टर को बखूबी चला सकते हैं और बखूबी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। आज के समय में इंश्योरेंस के माध्यम से ही हम पूरे देश के अंदर अपनी हर चीज की व्यवस्था को इंश्योर्ड कर रहे हैं और पूरे देश के कारण हम आज दुनिया के अंदर इस पैमाने पर खड़े हैं। चाहे वह जीवन रक्षक दवाएं हों, घर हो, गाड़ी हो, आदमी के हाथ में कोई भी वस्तु हो, वह सब आज इंश्योर्ड हो रहा है। इंश्योरेंस होने के बाद आज हमें इस बात का पता है कि हमारी वह बहुमूल्य वस्तु अगर किसी कारण से नष्ट होती है, चोरी हो जाती है तो हमें उसका क्लेम मिलता है, आज हम उस पैसे को वापस पा सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात इस बीमा संशोधन में है कि हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षित कर सकें, कैसे अधिक से अधिक देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकें, कैसे देश के अंदर फॉरेन करेंसी का, यानी विदेशी धन का आगमन हो सके। इसी के तहत यह संशोधन बिल लाया गया है।

महोदय, मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इसके पक्ष में बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

**श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर):** माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैडम निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहता हूँ – “*Indha Kappittu Masodavai naan balamaga ethirrkiren.*”

मैडम, मैं इस बिल का बहुत घनघोर एवं बहुत भीषण विरोध करता हूँ । I oppose this Bill tooth and nail. आपने 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत बढ़ाया तो क्या आपने देखा कि इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन कितना हुआ? अब आप 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत करने जा रही हैं । ‘To raise the limit of foreign investment in Indian insurance companies from existing 49 per cent to 74 per cent and to allow foreign ownership and control with safeguards’, आपके जो सेफगार्ड्स हैं कि 50 प्रतिशत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और इतने प्रतिशत इंडियन डायरेक्टर्स होंगे । इसी तरह के हालात थे, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारे यहां बिजनेस करने आई थी, तब भी इंडियन्स थे । इंडियन्स ने उनका साथ दिया था ।

Madam Minister, this is no safeguard. वे हमारी बीमा कम्पनियों को हाइजैक कर लेंगे और एक समय आएगा, जब देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर एफ.डी.आई. बढ़ाने से विदेशी लोग काबिज होंगे ।

महोदय, मैं एक बेसिक सवाल करता हूँ कि अगर कोई भी विदेशी कम्पनी यहां अपने पैसे लगाने के लिए आती है और मान लीजिए कि अगर वह एक हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करती है तो क्या वह हमारे देश के लोगों को वे एक हजार करोड़ रुपये देने के लिए आती है या कमाती है? In due course of time, वह एक हजार लगाकर दो हजार, तीन हजार, पाँच हजार, दस हजार कमाएगी । मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूँ । भविष्य में तमाम सालों के बाद वह हिन्दुस्तान का पैसा बाहर ले जाएगी । मेरा यह कहना है कि जो हिन्दुस्तानी इंश्योरेंस कम्पनीज़ हैं, उन्हें थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए । यहां के लोगों का माइन्डसेट है कि वे धीरे-धीरे इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते हैं । अगर विदेशी

कम्पनियां आ जाएं, और मेरा तो कहना है कि अगर भगवान भी आ जाएं, तो इतनी जल्दी इसका पेनेट्रेशन नहीं बढ़ने वाला है ।

आपके ही आँकड़े के अनुसार, मैं बताता हूँ, as per *The Economic Survey 2020-21*, insurance penetration estimated as percentage of insurance premium to GDP in India, has risen from 2.71 per cent in 2001 to 3.76 per cent. A closer look at data shows that penetration of life insurance in India stands at this figure while that of in other countries like Malaysia – 4.72 per cent, Thailand – 4.99 per cent and China -- 4.30 per cent. We are not far behind.

हम एक प्रतिशत ही तो कम हैं । हमारे यहां की इश्योरेंस कम्पनियों को मौका दिया जाना चाहिए, तभी हमारे यहां इश्योरेंस में पेनेट्रेशन और बढ़ेगा । एफ.डी.आई. बढ़ाने से ज्यादा अच्छा होगा कि कम से कम हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग में इश्योरेंस के प्रति एक ऐसी इमेज पैदा की जाए । आज देखिए कि चाहे कोई एक्सीडेंट का क्लेम हो, चाहे फसल बीमा योजना का क्लेम हो, चाहे किसी की मौत होती है तो किस तरह से इश्योरेंस कम्पनियां लोगों को उसका क्लेम देने में देरी करती हैं । यही खास वज़ह है कि लोग इश्योरेंस नहीं करवाते हैं और इसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं ।

महोदय, मेरा यही कहना है कि अपने देश में इश्योरेंस कम्पनी के लोगों के पास भी बहुत प्रतिभा है । यह जो पेनेट्रेशन और लेवल-ऑफ-कम्पीटिशन के नाम पर, इस बेनिफिट के नाम पर आप जो एफ.डी.आई. बढ़ाना चाह रहे हैं, यह देश के लिए बहुत हानिकारक है ।

मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ ।

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Thank you very much, Mr. Chairman Sir. I would like to speak for one minute, which is just little out of context, which I normally do not do. I have been a parliamentarian for 14 years. Sir, you have seen me closely. Today, I went through something very difficult and strange. Today, 'Zero Hour' either was rigged or there was some serious change of plan form that side.

**माननीय सभापति :** आप अपनी बात कहिए ।

**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :** सर, दुख तो होता ही है, जब आठ लोग एक ही विषय पर बोलते हैं तब हमारी तरफ से भी एक ही सदस्य बोल सकते थे, लेकिन सुबह ऐसा नहीं हुआ । I just want to flag that it is a black day. Everybody does not stay in this side. जब कभी भी बारी आएगी तो यह इस देश में प्रेसिडेन्ट न पड़े । कोई भी सत्ता लाइफ भर नहीं होती, कभी इस पार तो कभी उस पार सत्ता होती है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए । Actually, it is a black day for democracy. आठ लोग एक ही विषय पर जीरो आवर में बोलते हैं, जिनका नाम नहीं था । मैंने इसे चेक किया है । इनमें से एक भी सदस्य का नाम जीरो आवर में नहीं था । It is up to the Speaker, of course. I understand the power of the Speaker. But this is injustice. मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है । एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें तथा यहाँ पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि दो ही ऐसी पार्टिज़ हैं, जो कभी वेल में नहीं आती हैं । वह पार्टी एनसीपी और बीजेडी हैं । आज 14 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये थ्री नॉट थ्री हैं, वे बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक-दूसरे को इशारा करके बोलते हैं कि चिल्लाओ-चिल्लाओ । अगर हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हमारी आवाज़ दब जाती है ।

**HON. CHAIRPERSON:** I think, you have made your point. Please come to the Bill.

... (*Interruptions*)

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:** I just request through you that जो रूल्स फॉलो करे, उसकी आवाज़ न दबाई जाए । That is my limited point and I just want to put it on the floor.

Another thing I wanted to say is that I appreciate that this Bill has been brought in by this Government. But this Government is full of contradiction. यह यू-टर्न की सरकार है । They are u-turning about everything straight from allies. आज जिस तरह से शिव सेना के बारे में बात कर रहे थे, 25 साल तक उनके साथ आपका अच्छा रिश्ता रहा है । 25 साल के बाद जिस तरह से आज उद्धव जी के ऊपर अटैक हुआ, मैं सोच कर दंग रह गई कि 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना पर्सनल अटैक करते गए । Anyway, this is a u-turn *sarkar*. This is one more u-turn, I guess. ... (*Interruptions*)

सर, मैं किसी को हैकल नहीं कर रही हूँ, यह आपने देखा है ।... (व्यवधान)  
अभी सुनने की भी थोड़ी ताकत रहनी चाहिए ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप बोलिए, सभी लोग सुनेंगे ।

**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :** सर, जब बड़ी सत्ता हो, ... (व्यवधान) The beauty of being in power is to listen to the people who do not have a voice. अगर हम कम हैं तो हमारी थोड़ा भी सुना कीजिए । टाइम भी कम मिलता है । This Bill, as my colleague said, is a Bill brought in by UPA. At that time, as I said, this is one more u-turn. यह सरकार ने यू-टर्न किया है । This was objected by the then, unfortunately, two late people, whom I personally, looked up to as amongst the finest Parliamentarians and

leaders, Sushma Swaraj ji and Arun Jaitley ji. We all learnt from them. We may have ideological differences but the way they conducted themselves in Parliament was exemplary. I remember, both of them, were speaking against this Bill. So, I, really, would like to ask to the hon. Finance Minister and the Government as to what has made you change your mind because when Mr. Chidambaram had brought this Bill, you had vociferously spoken against this Bill. So, what has changed your mind?

I just want to ask two or three narrated questions because I am not completely against the Bill. I understand for what reason you are bringing it. What Shayam Singh ji has said was absolutely right. If we get 74 per cent or 75 per cent FDI, it will really be an East India Company.

सर, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद होगी । हमारी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं । Now, just because they are sitting that side and we are sitting this side, अभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए । What about this whole programme of AatmaNirbhar Bhartat? पूरा टाइम आत्मनिर्भर भारत की बात होती है । अभी हर्षवर्धन जी भी बैठे हैं । I am so proud of the work that he has done during this COVID time. आत्मनिर्भर भारत में इतना बड़ा इनवेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रहा है, what is the need of it? It, actually, makes your AatmaNirbhar Bharat Programme weak. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 70 साल पहले हुई थी । वैक्सीन हुई, दवाई हुई, बहुत सारी चीजें इंडिया में बनती थीं, लेकिन आज क्या हो गया कि आप इस पूरी पॉलिसी पर यू-टर्न करते जा रहे हैं । Could the Finance Minister explain to us about it?

It is good that you are opening it. I am not against opening up of it at all. We started it and just because I am on this side, I am not going to

criticise the good policies. It is because for me the country is first and then comes my ideology. I am a very proud Indian. What is good for my country, whoever does it, अच्छे को अच्छा बोलना ही चाहिए । I think, the intention of this Government is good. But, what is really behind it, I am really confused about it. The East India allegation was then, wrong. How should we put history straight? जब आप वह चीज बोले तो शायद वह गलत था । That must be corrected. The document should be corrected because history will judge us.

The other thing which worries me is this. This is going to be opened to everybody. I do not want to corner any one country. I will give you one small example of what my own State went through.

सर, हमारे यहां दो घंटे के लिए बिजली चली गई । इसकी पूरी इंक्रायरी हुई थी । It was realised that that was an attack, not specifically on Maharashtra, as it had nothing to do with the Central Government. But there was an allegation, and there was a Report which was confirmed by the Central Government, which is documented, that that was a Chinese attack, and it could have been that. यह किसके लिए कर रहे हैं, इंश्योरेंस किसके लिए होता है? जो गरीब होता है, जो शोषित होता है, जो पीड़ित होता है, जो वंचित हाता है, उसके लिए इंश्योरेंस है । ये बड़ी कंपनियां कहां हैं? हमारे गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित लोग कहां जाएंगे? वे न्याय कहां मांगेंगे? अभी भी प्राइवेट कंपनीज़ के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं । Big companies are collapsing. So, how are we going to achieve that? I understand your intention that the money is needed as the economy is going through its most difficult and challenging times. इस टाइम में अगर आप ओपन अप कर देंगे तो गरीब, जो मेहनत करने वाला है, विश्वास से इंश्योरेंस लेता है, उसका क्या होगा? I reiterate, we are not against all these changes. I have just one small question. You are privatising everything; we are not against



privatisation. But what I have read is that the sectors like Telecom, Road, Power, Youth, Civil Aviation, Petroleum, and Shipping and Ports, are being monetized. When we monetize things, we should think about our past records. We should think whether whenever we have monetized things, we have managed to get enough money back. Take the example of Air India. There are many other examples I can put before you. So, can the hon. Finance Minister tell this nation that while you are privatising all these things, opening up the country, which we are not against, how is it really going to help our economy which needs the biggest push? Of course, the economy was doing badly, and on top of that, there is this COVID-19 challenge. दोनों के बीच में देश फंसा हुआ है । Today, even jobs are very less, and NPAs are maximum in education sector. Today, a very big lead story has come. एनपीए सबसे ज्यादा शिक्षा में आया है । बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं । यह बड़ी चिंता की बात है । अगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इन सबका जवाब दें, तो देश को एक अच्छी दिशा मिलेगी ।

**डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद):** सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एलआईसी देश की एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था है । यह सबको मालूम है कि तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपये एलआईसी का हमारी डिफरेंट स्कीम्स के अंदर लगा हुआ है, जो सरकार ने बॉरो कर रखा है । आज एलआईसी को 16 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, तो हमने एफडीआई के हाथ इसको बेचने का निर्णय ले लिया । एलआईसी देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था भी है । हमने एफडीआई को इसे देने का फैसला लिया है, लेकिन आपने

उनको मालिकाना हक भी दे दिया । मालिकाना हक देने से हमें इस बात का अंदेशा है, जैसा कि और वक्ताओं ने भी कहा कि देश का पैसा फॉरेन में ड्रेन न होने लगे और वह होगा ही । ये लोग पैसा कमाने ही तो आ रहे हैं । ये हमारे देश के अंदर समाज सेवा करने थोड़े ही आएंगे ।

अभी सुप्रिया जी ने बहुत सही बात कही कि आपका आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का आइडिया आखिर कहां गया? अगर फॉरेनर्स के हाथ में सब कुछ दे रहे हैं, तो वही पुरानी हिस्ट्री दोहरायेगी । अभी हमारे एक साथी ने ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात कही, हमें इस बात का अंदेशा है कि वह दोहराने न लगे । जिन एफडीआईज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है? वे कहीं ऐसी कंपनीज़ तो नहीं हैं, जो अपने देश में बैंकरप्सी की कगार पर हैं और यहां से पैसा लेकर जाना चाहती हैं । हमारे एलआईसी बियरर्स की क्या गारंटी है कि उनको वे तमाम चीजें मिलेंगी, जो आज हम उनको दे रहे हैं? एलआईसी के जो इंप्लॉईज़ हैं, इस वक्त उनमें बहुत बेचैनी है । वह बेचैनी इसलिए है कि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है । वे बहुत परेशान हैं । उनके सेफगार्ड के लिए आपने कौन-कौन से प्रावधान इसमें रखे हैं? हमें आप यह बताने की कृपा करें ।

आखिर में, मैं कहना चाहूंगा कि अगर पैसे की जरूरत पड़े तो घर को गिरवी नहीं रखा जाता है । अगर हम गिरवी रखकर दूसरे लोगों को मालिकाना हक देंगे, तो एक दिन यह होगा कि हम घर के बाहर खड़े होंगे और वे हमारे घर के अंदर आ जाएंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया ।

**SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD):** Sir, in the current Budget speech, the hon. Finance Minister proposed to increase the permissible foreign direct investment limit in the insurance companies to 74 per cent from 49 per cent.

**13.35 hrs**(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

In the Statement of Objects and Reasons of the Insurance (Amendment) Bill, 2021, it is stated that in order to achieve the objective of Government's Foreign Direct Investment Policy of supplementing domestic long-term capital, technology, and skills for the growth of the economy and the insurance sector, and thereby enhance insurance penetration and social protection, it has been decided to raise the limit of foreign investment in the Indian insurance companies from the existing 49 per cent to 74 per cent.

The Bill proposes to allow foreign ownership and control with safeguards.

As mentioned by the hon. Finance Minister in her speech, under the new structure, the majority of Directors on Board and the key management persons would be resident Indians with at least 50 per cent of Directors being independent Directors and specified percentage of profits will be retained as general reserve.

All this will have no meaning when the ownership goes in the hands of the foreign investors.

Before, 2000, the insurance sector was the monopoly of the State-owned companies like the LIC for the life sector and four general insurance companies, namely New India Assurance, United India, Oriental Insurance and National Insurance and General Insurance Corporation of India were meant for the reinsurance purposes.

With the objective to encourage competition and enhance insurance penetration under the aegis of IRDA, the insurance regulator, the Government of the day threw open the insurance sector to private

players and also permitted foreign investment in the insurance sector in the year 2000 by allowing up to 26 per cent in an Indian insurance company.

Later, in 2015, this limit was raised to 49 per cent.

The FDI up to 49 per cent in the insurance sector was expected to bring in a good amount of foreign capital and enhance penetration but it did not happen.

If we go by the figures that we have, today, very few companies in the life insurance and in the general insurance sector could reach the foreign holding of 49 per cent.

Many of the companies are working with foreign holding of even less than 26 per cent.

According to 2019 data, the insurance penetration in India is 3.76 per cent whereas the world average of insurance penetration is more than 7.23 per cent.

The insurance sector will definitely grow multi-fold without foreign investors as we have tremendous support.

As per the analysis done by the SBI, the increase in FDI limit in insurance may receive Rs.5,000 crore to Rs.6,000 crore in another one or two years, and in another five years' time, we may get the foreign direct investment to the tune of Rs.15,000 crore to Rs.16,000 crore.

If this be the case, we need not go in for foreign direct investment. The resources are available in India itself.

So, going by the figures and the available data, the expected foreign direct investment looks elusive as the foreign investors too would study

the terms and conditions, the new structure of Directors on Board, any conditionality and regulatory approvals attached to the payment of dividend to the foreign investors, and then take cautious steps of investing in the Indian insurance sector.

Even in case a good response emerges from the foreign investors, the insurance sector will always remain under the threat of foreigners who will capture the entire insurance industry and will make huge profits; and the flight of capital cannot be stopped by the Government authorities.

The public sector insurance companies like the LIC having a market share of 75 per cent and the four general insurance companies having a market share of more than 55 per cent, over a period of time, will fall prey to the private insurance companies owned by foreigners.

I would, therefore, urge the Government and the Finance Minister to reconsider the step of raising the FDI limit in the insurance sector to 74 per cent, and instead boost the State-owned Government insurance companies by infusing capital and strengthening the solvency issue of these companies to enable them to cater to the insurance needs of the Indian people.

I would like to state that the Government is planning to close the Oriental Insurance Branch located at Kamareddy district in my Parliamentary Constituency of Telangana, which is not a right step, as Kamareddy district is a newly formed district and is at the developing stage. It has a potential to generate new insurance customers. There are around 50-60 villages around the Kamareddy district.

With the closure of this Branch, it will be a loss for the Government and it will become very inconvenient for the people living in the nearby villages to visit Nizamabad for making the claims and for the renewal of insurance policies as well as for the workers to discharge their respective duties.

I, therefore, request the hon. Minister to kindly put a hold on the closure of the Oriental Insurance Branch in Kamareddy district and give it some time to flourish.

Thank you.

**SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH):** Hon. Chairperson, I hereby stand to raise some issues pertaining to the insurance sector as well as to oppose the Bill *in toto*. In fact, everyone of us knows that LIC was formed in 1956 and it has served this nation for more than 65 years. The increase of FDI from 49 per cent to 74 per cent will give the rights to catch hold of the entire properties of LIC in the hands of the people, who are there in the market.

By doing this, the Government is directly handing over this huge section of domestic savings to the foreign capital, which neither contributes to the infrastructural development nor the socio-economic development of our nation. There is no contribution of such people in the development of the nation. By increasing the FDI, these foreign

capitals get access, rather control over the domestic savings collected by way of insurance premiums which are being utilized for ensuring higher profits through speculative investments. Thus, the policyholders, the true stakeholders, are put to enormous risk of their funds. Also, the foreign capitals get a vast share of profit earned by the companies and it will be swayed offshore. I do not know how the Government is going to stop all these things because it is the property of the country.

Madam, LIC of India was formed in the year 1956. It was entrusted with the job of mopping up funds by way of collecting premiums and providing these funds for the national development. LIC was also entrusted the prime task of providing secured insurance cover to the citizens of our nation. LIC of India has been successfully performing these dual responsibilities, rather tasks, entrusted by the Government of India for the past 65 years. During these years, LIC has insured crores of people of our nation. As on date it is estimated that nearly 40 crores of Indians are insured by LIC of India. As per estimates, India possesses a capacity of 60 crore insurable population of which around 40 crores are already insured. The insured people feel fully secured and safe at the hands of LIC, which is very important.

The LIC of India was formed with an initial meagre capital of Rs.5 crore. It was further increased to Rs.100 crore in the year 2011 to meet the requirement of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Through this minimal capital, LIC has created assets worth Rs.32 lakh crore till the last financial year ended 31.3.2020. The value of real estate assets of LIC also stand at around Rs.30 lakh. Till date LIC has paid cumulative dividend to the Government of India to the tune of Rs.28,000 crore. LIC has also paid a dividend of Rs.2698 crore

for the current year ended 31<sup>st</sup> March, 2020. Total investments made by the LIC in the Government's infrastructural development projects like roads, water, power, sewerage, bridges, road and rail transport systems, etc. stand at around Rs.30 lakh crore. The most important asset that LIC has created is 'trust' and that is why the people of our country prefer to get a policy from LIC rather than other insurance companies.

The Life Insurance Corporation Act has been amended on an earlier occasion in the year 2011. Those amendments were necessitated for complying with the provisions of the IRDAI. As per IRDAI, amendments to the LIC Act in 2017 were made with the sole purpose of increasing the capital of LIC up to Rs.100 crores. But the proposed amendment to the LIC Act is solely aimed at paving the way for disinvestment of LIC of India, which in turn will clear the hurdles of listing the equity capital of LIC to the share market by issuing an IPO.

Madam, this amendment to the LIC Act will be the most disastrous move and will go against the interest of the nation. The disinvestment of LIC of India through issuance of IPO will in turn be throwing open LIC's capital to the speculative market by way of shares and will lead to handing over the entire monies, assets, brand, and trust in the hands of crony capitalists who will pounce on to swallow away maximum share and have a complete hold on the LIC of India. This will prove destructive to the national interest.

Madam, the insured also has the choice of returning back the product within a stipulated timeframe if he finds that the product offered is not as per the commitment mentioned in the insurance policy document.



I come to my last and the most important point. Right from day one when the LIC of India was formed, the provision of sovereign guarantee is available on every policy issued. I would like to ask the Government whether the Government will continue with providing, even after allowing FDI, the sovereign guarantee or not.

The argument put forth on issuance of LIC IPO is that it will provide greater transparency and give ownership to its stakeholders. This is the argument being spelt out by the authorities in the Finance Ministry. The funds collected by the LIC of India by way of insurance premium and other incomes received by way of real estate income and investment income are all under the strict vigil of the Government. Therefore, I would say that these are the strengths of the LIC of India and we are going to weaken the LIC of India and going to hand over the entire properties and assets to the so-called foreign investors who do not have any contribution in the development of the country.

The LIC of India has served the country for 65 years. I do not understand the necessity of going for this amendment. Right now, there are competitive companies in the country. The LIC of India has been working in this competitive environment and has proved, time and again, that they are the best among all the insurance companies. Therefore, I will request the Government to protect this company and do not go for disinvestment. It is eventually privatisation. Even if you do not use the word privatisation, the day 74 per cent investment is done by FDIs, they are bound to become an owner and you will be just a non-entity. Therefore, I request the Government to kindly look into this, while bringing this Bill, and take a serious note of it and see that the protection to the LIC of India, their stakeholders, the Government, and its sovereignty should be maintained.

Thank you so much.

**श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब):** माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद । वर्ष 2000 में, हमारी जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट 24 परसेंट तक हो सकती थी । वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर 49 परसेंट कर दिया गया और आज हम, इस बिल के माध्यम से इसे 74 परसेंट करने जा रहे हैं । अगर, आप इसके स्टेटिस्टिक्स को देखेंगी, तो अभी तक हमारी जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी के पास 49 परसेंट की एफडीआई भी नहीं हैं । मैं समझता हूं कि इसको इतनी जल्दी इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी । हम 'आत्मनिर्भर भारत' की बात करते हैं । हम 'मेक-इन इंडिया' की बात करते हैं । हम 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं । हमने आज कोरोना की दवाई दुनिया के काफी देशों को दी है, तो क्या हम अपनी कंपनीज की ओनरशिप और कंट्रोल को फॉरेन के हाथों में, बाहर के लोगों के हाथों में देकर कितना बड़ा तीर मार रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

महोदया, आज हमारे देश का ताज एलआईसी है । आज हर घर में चाहे कोई आदमी पढ़ा-लिखा हो या कम पढ़ा-लिखा हो, झुग्गी से लेकर महल तक हर आदमी एलआईसी के बारे में जानता है । एलआईसी हमारे देश का ताज है । मुझे नहीं पता है कि इस बिल के आने के बाद यह किसी बेज़ोस, किसी गेट्स या किसी जुकरबर्ग के सिर पर वह ताज सजेगा और यह भारत के सिर पर नहीं रहेगा । ऐसी कंपनी जिसने सरकार को भी डिवेडेंड दिया है, बहुत बड़ी असेट्स क्रिएशन भी दी है और वह हमारे शेयर मार्केट को भी चलाती है, हमें ऐसी कंपनी

को प्रोटक्शन देना चाहिए और वह जैसे चल रही है, हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए ।

महोदया, मैं इस सरकार के काम करने के तरीकों को देख रहा हूं । जितने भी सेंसेटिव बिल्स होते हैं, मुझे नहीं पता है कि उनको बुल्डोज़ क्यों किया जाता है? हमारे सामने ड्रेकोनियन फॉर्म लॉज़ हैं । हमने किसी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई वार्ता नहीं की है, उनका सुझाव नहीं लिया है । इसी तरह कहने के लिए तो यह दो पेज का छोटा-सा बिल है, मगर इसके जो इफेक्ट्स हैं, जिसे रिपल इफेक्ट्स कहते हैं, वह बहुत दूर तक जा सकते हैं । हमें इसको स्टैंडिंग कमेटी में देना चाहिए । वहां बात करनी चाहिए । सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए, तभी इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए । एक ब्रूट मेज़ोरिटी के साथ आप हर बिल को बुल्डोज़ करेंगे, तो न यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है और न ही यह देश के लिए ठीक है ।

महोदया, माननीय वित्त मंत्री साहिबा में राज्य सभा में बोलते हुए कहा था कि जो यह इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसमें 74 प्रतिशत एफडीआई आ भी जाती है, फिर भी उसे भारतीय ही चलाएंगे । कुछ प्रमुख ओहदों पर भारतीय ही रहेंगे । वे ही बैठेंगे, वे ही इसको मैनेज करेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री साहिबा से कहना चाहता हूं कि मालिक, मालिक होता है और नौकर, नौकर होता है । हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़कर हमें ऐसी-ऐसी असेट्स और कंपनियों का मालिक बनाया है, आज हम उन्हीं पीएसयूज़ में नौकर बनने जा रहे हैं और फिर मालिक बाहर से आ रहे हैं । हम यही फॉर्म लॉज़ में भी करने जा रहे हैं ।

महोदया, आज माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा था कि इंश्योरेंस में जिन भारतीय लोगों का पैसा लगा है, वह भारत में ही रहेगा । वह हमारा पैसा है, वह रहना भी चाहिए । मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हम नीरव मोदी को नहीं रोक पाएं, हम ललित मोदी को नहीं रोक पाएं, हम मेहुल चोकसी को नहीं रोक पाएं, हम कोठारी को नहीं रोक पाएं । वे खुद भी बाहर गए, अपने परिवार को भी बाहर ले गए, हमारा पैसा भी बाहर लेकर गए

और हमारी इज्जत भी उछालकर गए । वे आज बाहर के आलीशान दफ्तरों और घरों में बैठकर हमारे देश का मुंह चिढ़ा रहे हैं । मैं यह समझना चाहता हूँ कि वह एक बहुत आलीशान जिन्दगी जी रहे हैं, लेकिन ये लोग जो एफडीआई लेकर आएंगे, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट कंपनियां या इन्वेस्टर्स हैं, वे तो पहले ही बाहर बैठे हैं, हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं?

महोदया, आपकी सरकार ने हमेशा 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' का नारा दिया है । आपसे जो भी नारे बन सके हैं, आपने बनाए हैं और लोगों को दिए हैं । मगर दूसरी तरफ हमारा सब कुछ जो पहले से ही बना हुआ है, आप उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आज यह बात मैं नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं । कृपया आप इसके पीछे के कारण को जरूर बताइएगा ।

मैडम, कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी । देश को आजाद करवाया । जिस तरह बाहर के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे और उन्होंने देश को गुलाम बना लिया था । आज आप देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए बाहर से वही कंपनियां बुला रहे हैं । यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा । यहां पर पांच ट्रिलियन की बात होती है ।...(व्यवधान) मैडम, मुझे दो मिनट दीजिए मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । हमें बहुत खुशी होती है, जब 5 ट्रिलियन की बात होती है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हम 5 ट्रिलियन इकॉनोमी अपना घर बेचकर, घर का सामान बेचकर बनाएंगे? हमें अपनी पॉलिसी पर दोबारा रीलुक करना चाहिए । मैं इस बिल का विरोध करता हूँ ।

**श्री गणेश सिंह (सतना):** सभापति महोदया, धन्यवाद । मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ । बीमा अधिनियम, 1938 में यह संशोधन हो रहा है । मैं सबसे पहले माननीय

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनकी दूरदर्शी सोच के लिए धन्यवाद करता हूँ । हम सब वर्ष 2014 के पहले के भारत और आज वर्ष 2021 के भारत में जमीन आसमान का फर्क देख रहे हैं । देश की आजादी के बाद जो रूढ़िवादिता और दूरदर्शी दृष्टिकोण था, जिसके चलते देश को जिस मुकाम तक पहुंचना था, उस मुकाम तक देश नहीं पहुंच पाया । जब अटल जी प्रधान मंत्री थे, उस समय कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे, जिनके कारण देश प्रगति के रास्ते पर तेज गति से बढ़ना शुरू हुआ था । वर्ष 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने देश में ऐतिहासिक परिवर्तन किए थे और आज मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार के सारे विभागों में जिस तरह से नई कार्य योजना बनी है और जिस तरह से उनका इंप्लीमेंट हुआ है, उसकी वजह से आज पूरा देश तेज गति से विकास की दिशा में दौड़ रहा है । देश में जो गंभीर समस्याएं थीं, उनको देखकर लगता था कि उनका कभी हल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने उन सारी समस्याओं को हल करके दिखाया, जिस तरह से कठिन से कठिन सवालों को हल किया, उससे आज पूरी दुनिया में उनकी इस बात के लिए चर्चा हो रही है ।

प्रधान मंत्री जी जो भी नीतिगत निर्णय अपने मंत्रिमंडल में करते हैं, उसे हम संसद में कानून का रूप देते हैं । आज उसी योजना के तहत माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां पर लाया गया है । राज्य सभा ने इसे ध्वनिमत से 17 मार्च को पारित कर दिया है । देश आज दुनिया की बराबरी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है । मोदी जी की सोच सचमुच वैश्विक है । इसीलिए उन्हें अब दुनिया वैश्विक नेता के रूप में पहचान रही है । सन् 1938 में यह कानून बना था । वर्ष 2000 में एक संशोधन हुआ तब एफडीआई 26 परसेंट था । उसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन हुआ तो 49 परसेंट एफडीआई था । इसके बावजूद भी बीमा क्षेत्र में जो कवरेज होना चाहिए, वह नहीं हो पाया । इसलिए हमारी सरकार ने सोचा कि अब 74 परसेंट एफडीआई बढ़ाने का विधेयक लाया जाए । आज उसके तहत यहां पर यह विधेयक लाया गया है । अब इसमें सब को सभी क्षेत्रों में सभी तरह का बीमा सस्ती दरों पर कवर किया

जाएगा । वर्तमान में दुनिया के मुकाबले हमारे देश की स्थिति क्या है? भारत के बीमा सेक्टर का जीडीपी में कुल योगदान मात्र 3.76 है ।

### **14.00 hrs**

दुनिया के कई देशों की जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर का योगदान अधिक है जैसे यू.एस. में 11 प्रतिशत, यू.के. में 19 प्रतिशत, फ्रांस में 9.21 प्रतिशत, जापान में 9 प्रतिशत, कनाडा में 7 प्रतिशत । प्रश्न यह उठता है कि देश की आबादी 135 करोड़ है और हर कोई अपना बीमा सुरक्षा कवच चाहता है, किन्तु उसका लाभ नहीं ले पा रहा है । इस विधेयक के पारित होने के बाद मुझे लगता है कि बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, गरीब को भी सस्ता बीमा लेने की सहूलियत मिलेगी, नई तकनीक विकसित होगी, सामाजिक सुरक्षा कवच को बढ़ाव मिलेगा, नए रोजगारों का सृजन होगा और देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान बढ़ेगा । हमारे प्रधानमंत्री जी की देश को फाइव ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की जो योजना है, उसमें भी इस विधेयक के पारित होने के बाद काफी मदद मिलेगी । छोटी बीमा कंपनियों को भी इससे फायदा होगा । अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, मुझे लगता है कि उनका दृष्टिकोण गलत है और छोटी कंपनियों में भी पूंजी निवेश बढ़ेगा, जिससे उनका और विस्तार होगा और उनकी पूंजी में भी इज़ाफा होगा । बीमा एक पूंजी-गहन व्यवस्था है, यह एक व्यवसाय है और इसका लाभ देश को मिलेगा । मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब टेलीकॉम में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. आई, उसके पहले हमारे देश में टेलीफोन कॉल्स बहुत महंगी थी, 20 से 30 रुपये में एक कॉल होती थी । जब 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. आ गई तो टेलीफोन कॉल्स सस्ती हो गई । इसका फायदा पूरे देश के लोगों को मिला । वर्ष 2001 में 2.71 प्रतिशत, वर्ष 2019 में 3.76 प्रतिशत बीमा कवरेज हुई । जीवन बीमा में कवरेज 2.82 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा में 0.94 प्रतिशत है । विश्व स्तर पर बीमा क्षेत्र की पैठ 3.35 प्रतिशत थी, वर्ष 2019 में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में यह 3.88 प्रतिशत थी, इसलिए दुनिया के मुकाबले हमें बीमा कवरेज को बढ़ाने

की जरूरत है। इस बिल पर राज्य सभा की स्टैंडिंग कमेटी ने विचार किया, लॉ कमीशन ने भी विचार किया, नरसिम्हन कमेटी ने भी विचार किया, राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी ने भी इस पर विचार किया और तब जाकर यह विधेयक राज्य सभा से पारित होकर यहां पर आया है। मैं एलआईसी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वर्ष 1956 में बनी और आज उसमें 40 करोड़ बीमा धारक और 32 लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। इसके बावजूद देश में सबको बीमा कवरेज नहीं मिला और बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है। वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की, जिसमें 9.5 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 21 करोड़ लोगों का बीमा हुआ। किसान फसल बीमा योजना लागू की गई, जिसमें 23 करोड़ किसान कवर किए गए और उसके चलते आज बड़ी मात्रा में हमारे देश के किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलने लगा। 17,450 करोड़ रुपये का प्रीमियम किसानों ने जमा किया और उसके बदले 90 हजार करोड़ रुपये उनको बीमा कवर के मिले। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों के लिए है, जिसमें 5 लाख रुपये का बीमा कवर है। अब तक लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में यह बड़ा क्षेत्र है। बड़ी संख्या में लोग बीमा की सुविधा से वंचित हैं। आज आम आदमी चाहता है कि उसके नए घर का बीमा हो जाए, दुर्घटना का भी बीमा हो जाए, बीमारी का भी बीमा हो जाए। वह जो गाड़ी खरीदता है, उसका भी बीमा कराना चाहता है, जो दूध देने वाले जानवर पालता है, उसका भी बीमा कराना चाहता है। अगर कहीं उसने दुकान कर रखी है, तो वह चाहता है कि उसका भी बीमा हो जाए, लेकिन वह चाहते हुए भी उन सब सुविधाओं से वंचित है। देश में आज जो किसान फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, कि जो किसान अपनी फसल का नकद बीमा कराना चाहते हैं, उनकी भी 100 प्रतिशत कवरेज नहीं हो पा रही है। सभी फसलों का बीमा नहीं हो पा रहा है और जो लोग वेजिटेबल्स, फलों तथा फूलों की खेती करते हैं, उनको भी बीमा का लाभ अभी नहीं मिल पा

रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि हैं, मैंने देखा है कि उनका बीमा आज नहीं हो पा रहा है। पहले कभी उनका भी बीमा होता था, लेकिन बीच में उसे बन्द कर दिया गया, जिससे आज कहीं न कहीं उनके सामने समस्या आ रही है। मेरे कुछ सुझाव हैं। फसल बीमा योजना में जिलों के अंदर जो बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, उनका किसी भी जिला मुख्यालय में दफ्तर नहीं है। जब फसल खराब होती है तो किसान यहां-वहां भटकता है। जब वह कलेक्टर के पास जाता है तो कलेक्टर कहते हैं कि यह हमारी जानकारी में नहीं है कि किस कंपनी का दफ्तर कहां है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में इनका एक-एक कार्यालय खुलना चाहिए, ताकि किसानों की फसल का जो नुकसान हो, उसका मुआवजा तत्काल उनको मिल सके।

पहले कहा गया था कि सेटेलाइट के माध्यम से हम नुकसानी का सर्वे करेंगे, लेकिन अभी तक शायद उस मैथड का उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे पास आज देश में 23 प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियां हैं, 25 जनरल बीमा कंपनियां हैं, 7 स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, 2 स्पेशल बीमा कंपनियां हैं और एलआईसी भी है। इसके बावजूद आज जरूरत है कि इन सभी के बीच में 74 प्रतिशत जो विदेशी पूंजी निवेश आने का इस विधेयक में प्रस्ताव लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है।

मैं इसके साथ-साथ एक निवेदन माननीय मंत्री जी से करूंगा कि हम विदेशी पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज वैश्विक दुनिया में यदि भारत को मुकाबले में ले जाना है तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा। जो देसी पूंजी निवेश है, मैं जिसके बारे में विशेष रूप से कहूंगा कि बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे देश में ऐसे पूंजीपति लोग हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनको जिस तरह की सुविधा की जरूरत है, शायद वह नहीं मिल पाती है। मैं कभी-कभी देखता हूं कि कुछ लोग सेविंग्स कंपनियां बनाते हैं और मध्यम वर्ग के लोग उनमें अपना निवेश करते हैं, लेकिन वह पैसा गायब हो जाता है।



ऐसी जितनी भी कंपनियों ने फ्रॉडगिरी की है, हालांकि आपने कानून बनाया है और उसमें कार्रवाई भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें और पारदर्शिता की जरूरत है तथा उसमें यह कार्य किया जाना चाहिए ।

महोदया, उद्योगों के साथ हमारे काम करने वाले लोग हैं और जैसे हम देखते हैं कि जब किसी को स्मॉल फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक नहीं देते हैं । कुछ लोग चाहते हैं की हम स्मॉल बैंक बनाने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लें । वे लोग वर्षों से आवेदन करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक रिजर्व बैंक ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है । मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी थोड़ा सोचें ।

मैं, अंत में, इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि इससे तो हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी । मैं समझता हूं कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन देश को आज जिस मुकाबले में ले जाने की जरूरत है और विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से प्रगति की आवश्यकता है, अगर हम पुरानी व्यवस्था पर ही रहेंगे तो देश कभी बराबरी में नहीं आ सकता है और हम वैश्विक मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं । इसलिए मुझे लगता है कि सभी दलों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए । जैसे वाई.एस.आर. पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि आज इसकी जरूरत है कि हमारी एफडीआई बढ़नी चाहिए और एफडीआई आएगी तो निश्चित तौर पर हमारे यहां नए रोजगार पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बीमा का कवर दे पाएंगे । मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) :** मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 का समर्थन करता हूं । मैं अपनी बात शुरू करने से

पहले दो-तीन बातें, जो हमारे साथियों ने उठाई हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी एफडीआई को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बता रहे थे। एफडीआई पूरी दुनिया से प्रत्येक देश अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करता है। हमारे कांग्रेस के साथी भी वर्ष 1991 में इसका समर्थन कर रहे थे। जब पूरी दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, तब भी अगर हम इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे तो यह निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है। जब हम लोग यहां सदन में बैठे हैं तो हम ऐसे लोग हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारी है और जो बातें रखें, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। पूरी दुनिया में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आज पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग तरह से उनका निवेश बढ़े, इसकी बात भी हो रही है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं और अभी हमारे काफी साथियों ने उन बातों को कहा है कि यह जो सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है, इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देना है। वहीं उससे बड़ा उद्देश्य इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा क्षेत्र की पहुंच हो, यह हमारा उद्देश्य है। यह संवेदनशीलता प्रधान मंत्री जी जब वर्ष 2014 में सत्ता में आए, उसी समय हम लोगों ने देखी है। अभी गणेश जी ने जिक्र किया, जिस तरह से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधान मंत्री दुर्घटना बीमा योजना और उसके साथ-साथ जो प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना है, ये सारी जो योजनाएं हैं। इनके साथ-साथ हम लोगों ने पिछले वर्ष ही मोटर व्हिकल एक्ट में भी संशोधन किया था और मुआवजे की राशि को 10 गुना बढ़ाकर इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया था। निश्चित रूप से इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा क्षेत्र का लाभ मिले और बीमा का कवरेज बढ़े, यह इस सरकार का उद्देश्य है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय उत्पादों के लिए इन्वेस्टर चार्टर पेश करने की बात की थी, उसी क्रम में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तथा विदेशी भागीदारी एवं नियंत्रण हेतु बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2015 में इस विधि में संशोधन किया गया था और विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में अपनी बात यहां रखी है। इसका उद्देश्य इकोनॉमी में सरकार के प्रत्यक्ष निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ, जैसा कि मैंने कहा है कि बीमा कवरेज को बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य है। पहले यह 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं होने के कारण, हालांकि जब इसे 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत किया गया, तो उस दौरान हमारा बीमा कवर कुछ बढ़ा था, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं, जो यह चाहती थीं कि जब तक 50 प्रतिशत से अधिक निवेश करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक बहुत सारी कंपनियां उसके लिए आकर्षित नहीं होंगी, जिसके कारण मार्च, 2020 तक बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश केवल 37.4 प्रतिशत तक हम पहुंचे थे, लेकिन हम आगे बढ़ें हैं और उसको लेकर 74 प्रतिशत विदेश निवेश और भागीदारी तथा नियंत्रण के लिए हम ने जो संशोधन किया है, इससे यह उम्मीद बनी है और एक सर्वे के अनुसार यह आंकड़ा आया है कि तीन वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए एफडीआई निवेश की संभावना हमारे देश में बढ़ी है। यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को जहां सहयोग करने का काम करेगी, वहीं बीमा के क्षेत्र में रोजागार बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस अधिनियम में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिकतर निदेशक व एग्जेक्यूटिव भारतीय होंगे तथा कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे, इससे हमारी प्रबंधन की जो स्थिति होगी, उसको लाभ मिलेगा और पूरी तरह से ये कंपनियां नियंत्रण में रहेंगी। इसके साथ-साथ एक विशेष प्रावधान किया गया है कि इसमें एक निश्चित प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी इन कंपनियों पर नियंत्रण करने में भारत सरकार को मदद देगा और हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग होगा। निवेश बढ़ने से जहां इंश्योरेंस सेक्टर को पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं हम यह देखेंगे कि कम लागत में हमें

बेहतर सेवाएं भी प्राप्त होंगी । जब प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से हर कंपनी अलग-अलग तरह के प्रस्ताव लेकर आती है, जिसका सीधा-सीधा लाभ उपभोक्ता को ही होता है । अभी हम यह देखते हैं कि कई कंपनियां जब बीमा के क्षेत्र में जाती हैं, तो वे ऐसी श्रेणी चुनती हैं, जिसमें उनका रिस्क कम हो । जब कई कंपनियां होंगी और सेक्टर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का लाभ भी बढ़ेगा । प्रतिस्पर्द्धा के कारण ऐसे भी प्रस्ताव बीमा कंपनियों के माध्यम से आ सकते हैं, जैसे अभी हम केवल इतना ही काम कर रहे हैं कि हम अपने को सेक्योर करने के लिए बीमा कर रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह के प्रस्ताव भी आते हैं, जिससे हमें घरेलू बचत में यह लगेगा कि हमें इतना परसेंटेज मिल रहा है, हमारे सेविंग्स एकाउंट्स में भी बचत की संभावना बढ़ेगी और हम वहां इन्वेस्ट कर सकेंगे । हमारे बीमा क्षेत्र में एफडीआई के बढ़ने से इकोनॉमी में लॉंग टर्म में एसेट्स के भी डेवलप होने की संभावना है । एफडीआई से जहां विकास और इंश्योरेंस के क्षेत्र में रोजगार के सृजन की बात मैंने कही है, वहीं हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, जब कि वास्तव में इसका उलटा है । छोटी कंपनियों को निश्चित रूप से इससे फायदा ही होने वाला है ।...(व्यवधान) उसके साथ-साथ टेक्निकल जानकारी भी बढ़ेगी ।...(व्यवधान) मैं अपनी बात तुरंत खत्म कर रहा हूं, समय कम है ।

स्किल्स के बढ़ने से भी हमारा इंश्योरेंस का आधार बढ़ेगा । इसके साथ ही साथ मैं दो-तीन बातें माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं । मेरा ऐसा विचार है कि जो बीमा कंपनियां सुरक्षित श्रेणी का चुनाव करती हैं, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि वे हर तरह की श्रेणी में जाएं । दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेशों की सरकारें हर जिले में एक-एक ऐसी एजेंसी तय कर देती हैं, यह अधिकार किसानों को दिया जाना चाहिए कि वे स्वयं चुनें कि वे किस बीमा कंपनी से अपना बीमा करवाना चाहते हैं । मैं यह भी चाहता हूं, यह मेरा सुझाव है कि भविष्य में बीमा के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई लाने का काम सरकार को करना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से

हमारे देश को लाभ होगा और देश के उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा । इसी क्रम में आपने मूल अधिनियम की धारा 2(27) व 114 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत एफडीआई करने के साथ, बोर्ड के गठन और प्रॉफिट को एक विशेष परिषद को आरक्षित करने संबंधी प्रस्ताव दिए गए हैं । मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए बीमा संशोधन विधेयक, 2021 का समर्थन करता हूँ ।

**SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL):** In the current Budget Speech, the hon. Finance Minister proposed to increase the permissible Foreign Direct Investment (FDI) limit in the insurance companies to 74 per cent from 49 per cent. In the Statement of Objects and Reasons of the Insurance (Amendment) Bill, 2021, it is stated that in order to achieve the objective of Government's foreign direct investment policy of supplementing domestic long-term capital, technology and skills for the growth of the economy and the insurance sector, and thereby enhance insurance penetration and social protection, it has been decided to raise the limit of foreign investment in Indian insurance companies from the existing 49 per cent to 74 per cent.

Madam, the Bill proposes to allow foreign ownership and control with safeguards. As mentioned by hon. Finance Minister in her speech, under the new structure, the majority of directors on board and key management persons would be resident Indians, with at least 50 per cent of directors being independent directors, and a specified percentage of profits will be retained as a general reserve.

Before the year 2000, the insurance sector was the monopoly of state-owned companies like LIC for life insurance sector and four

general insurance companies namely New India Assurance, United India, Oriental Insurance and National Insurance, and the General Insurance Corporation (GIC) was a reinsurance company. With the objective to encourage competition and enhance insurance penetration, the then govt. of the day threw open the insurance sector to private players and also permitted the foreign investment in insurance sector in the year 2000 by allowing up to 26 per cent in the Indian insurance company. Later, in 2015 this limit was raised to 49 per cent.

Madam, FDI up to 49 per cent in insurance sector was expected to bring in good amount of foreign capital and enhance penetration but, nearly 5 years after the limit was raised, only 8 life insurance players, out of 23 private players, and 4 out of the 21 private general insurers, have foreign promoter holdings of 49 per cent. Many insurance players still have foreign holdings of 26 per cent or even lower according to the data available for September 2019. In some private insurance companies, Indian promoters still hold 100 per cent stake like Exide Life, Kotak Mahindra Life and Reliance General. According to 2019 data, insurance penetration in India is 3.76 per cent whereas the world average of insurance penetration is 7.23 per cent.

Madam, as per the analysis of SBI, the increase in FDI limit in the insurance may receive Rs. 5000 to Rs. 6000 crores of foreign investment in the sector in the next one or two years and Rs. 15000-16,000 crore in the next 5 years, apart from deeper product expertise and better underwriting skills. As of March last year, in the life insurance sector, for instance, against the 49 per cent limit of permissible foreign investment, the aggregate foreign investment is 35.49 per cent. In the case of general insurance sector, reinsurance and standalone health insurance companies, the utilisation percentage of the space for foreign

investment is even worse. The aggregate space for foreign investment has been utilised to less than half the permissible limit. It has gone down from the level of March 2018 when it was 25.42 per cent to 23.66 cent in 2019.

Madam, going by the figures and available data, the expected foreign direct investment looks elusive as foreign investors too would study the terms and conditions, the new structure of directors on board, any conditionality and regulatory approvals attached to payment of dividend to foreign investors and then take the step of investing in Indian insurance sector cautiously.

In case a good response emerges from the foreign investors, the insurance sector will always remain under the threat of foreigners who will capture the entire insurance industry and will make huge profits and even demolish the state-owned government insurance companies. Public sector insurance companies like LIC having a market share of more than 75 per cent, four general insurance companies having a market share of more than 55 per cent will over a period of time fall prey to the private insurance companies owned by foreigners.

I would urge the Government and the hon. Finance Minister to reconsider this step of raising the limit to 74 per cent of FDI in insurance sector and instead, boost the state-owned government insurance companies by infusing capital and strengthening the solvency of these companies to enable them to cater to the insurance needs of Indian people thereby not allowing the reincarnation of 'East India Company' on the Indian soil.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Thank you very much, Madam. I thank each one of the hon. Members who have spoken today

fairly in detail about the Insurance Bill which opens up the sector to receive FDI up to 74 per cent.

Madam, as you are aware, insurance is a very highly regulated sector and the regulator actually regulates many minute details of insurance itself. The regulator approves the product, the regulator regulates the pricing, the regulator oversees the investment, regulates it naturally, and also regulates the way it is marketed. So, insurance sector is very highly regulated. So, every bit of what we do after discussing in this House is part of what the regulators take into cognizance, and effectively that is what is point-on-point kept as oversight.

All of us have been hearing discussions about FDI limit going up, will it become another East India Company, and so on. I am sure many of us do recognise, and I would want to place it here for the record, that FDI is only an upper limit. It is only an upper limit, there is no compulsion that every company will have to take up to 74 per cent. Increasing does not mean the foreign investment will increase automatically to that extent in each one of the companies.

And also, even as I go into the details of what are the safeguards, it will be very fairly clearly established that the policy holders' funds will be invested only within India and that is not going to go out. So, FDI will not only bring capital, it will bring in greater competition, consumer will have more choice, there will be best practices being brought in from different parts of the world, knowhow and technology on some long-gestation activities which the insurance naturally implies will all have to be undertaken. And that will be possible with opening up.

Madam Chairperson, I want to underline the fact that today there is 49 per cent FDI allowed through automatic route and that is since 2015.



Many hon. Members have questioned saying what actually has been the benefit of that, what actually has been the penetration after 2015, has it made any difference; and if that has not made a difference, which is their presumption, what is the hurry to increase it further to 74 per cent. I would like to dwell on that point a bit more.

All private insurance companies meet insurance regulator's solvency margin norm of 150 per cent. So, for every Rs.100, Rs.150 is got to be kept as cash or some kind of an asset. Today, many of the companies are hard pressed to maintain that solvency level. And when we talk about insurance companies, many of the times our discussions confine only to the public sector insurance companies be they general insurance or life insurance. I will for a minute explain to hon. Members that today the share of the public sector, whether it is in life insurance or in general insurance, and the share of the private sector will itself explain why there is a need for bringing more FDI into this country because of the solvency ratio requirement. If you have to maintain it at 150 per cent and you are in the private sector, if you have to raise equity for the business, it is not that easy. But at the same time, there are investors in the long-term funding nature whether they are sovereign funds or pension funds, who are themselves wanting to invest in India so that they get enough returns.

This will be important for the hon. Members to recognize and to take cognizance. As I said, the attention of many of the hon. Members speaking on this Bill has been purely on the public sector undertakings. So, I want to underline this fact that three of the seven public sector insurers are below solvency margin. But they are public sector undertakings; so, the Government will infuse money and they will be taken care of. But outside in the private domain, there are companies on

which the Government has nothing to do but the market will have to provide them opportunities to raise money and that is why opening up and increasing to 74 per cent is important. To presume that there is enough liquidity in the market today and to think there is no stress today may not be a well-founded argument. There is definitely a financial stress for raising money, especially for private sector insurance companies which need to maintain that solvency ratio. As I said, regulators require you to keep 150 per cent. Where do they get that money from if they have to have that kind of solvency ratio as a matter of due diligence? Just for understanding, solvency margin is the ratio of assets to liabilities.

Madam Chairperson, if that is the situation today of the insurance industry, I want to say it is not different from earlier times. Probably that is one of the points that the hon. Member Shri Manish Tewari raised when he said that while earlier Governments did want to do it, we opposed it. I would tell you why we want to do it today and why this is not U-turn. I will explain the circumstances which have changed, and as a result, the Opposition will have to change. That is very much inconsistent in being in consistency with opposition. I just want to quote one of our former Finance Ministers Shri P. Chidambaram. In his speech on 4<sup>th</sup> October 2012, he had then said, "Though the Parliamentary Standing Committee headed by BJP's leader Shri Yashwant Sinha had recommended retaining FDI cap at 26 per cent, the Government has gone for the higher cap so as to meet the growing capital requirement of insurance companies." This speech was made after the Cabinet had approved the proposal to raise the FDI to 49 per cent. The circumstances are fairly similar even today.

I assure the hon. Members that there has been enough thinking by the regulator. Since my July speech where in my opening remarks, I had said that there could be an increase in some of the sectors inclusive of insurance sector, that work was taken up by the regulator, consultations were held, and it was clearly and repetitively said that we need to raise the insurance cap definitely because you need more money to come in. The consultations which the IRDAI has done included 60 insurers, a number of promoters, leading industry chambers, all of whom suggested that we need to increase it. So, it is only after due consultations that we have come up with this Bill.

Some of the hon. Members were observing with a bit of anxiety that we are rushing through it; that we are bulldozing. There is none of that. There is a clear testing of the ground through the insurer, consultation through the insurer, and the opinions coming through from the industry's stakeholders which affirm the need for increasing the cap, and therefore, it has been taken up. So, the recommendations are very strong and that is why we have gone ahead with raising the cap.

Let us get a perspective of how many insurance companies are there in public sector and in private sector. Otherwise, we tend to think that everything to do with raising of the insurance cap is only for LIC. First of all, let me take this opportunity to say that many hon. Members, inclusive of former Minister and representative from Shiv Sena Shri Arvind Sawant raised this point. In fact, almost 90 per cent of his speech was concentrated on LIC. This is not LIC Bill.

It has nothing to do with LIC. This is completely the insurance sector Bill and the amendment is to raise the cap. Here, I want to draw the attention of the hon. Members to how many are there indeed in the

public sector *versus* how many there are in the private sector. I will just, sort of, read it out. I did this in the Rajya Sabha. To my understanding, that actually brings the right perspective for us to understand what we are talking about.

Insurance sector has, if you ask me, three components. The one which is entirely dealing with life is life insurance. The second, which is a slightly broad basket, consists of three different components. First one is general insurance which in some cases also may partly include health. Second is a standalone set up insurance companies which deal only with health. Third is agriculture insurance companies. Hon. Member Ajay Misra *ji* spoke about agriculture insurance and so on. There are some which are exclusively dealing with agriculture insurance. So, if you look at the spectrum of insurance, one is completely life insurance, the other is general insurance which consists of three different categories.

If you look, in public sector life insurance, there is only one company. Whereas in private sector, which deal with life insurance, 23 companies are there today. They have got to be raising their money. They have to comply with the regulator's requirement as regards solvency ratio. They need money to come out of stress. Some of the companies are in a stress situation.

Then, when you come to the second basket which consists of three different layers, the general insurer, the health and the agriculture, general insurance, with some of them doing partly some health insurance, there are four in public sector and 22 in private sector. If you go to the next one which is the standalone health dealing insurance companies, there is not one in the public sector which is a standalone

health insurer, but there are five in the private sector. In agriculture insurance, which is the third component of the second wider basket, only one exists in agriculture insurance and that is in the public sector; there is none in the private sector.

There are also companies which are reinsurers. Public sector has only one reinsurance company whereas private sector has 11. Therefore, when we are talking about insurance sector – seven in public sector versus 61 in private sector – for the 61 companies, money should be available for doing business. I heard many Members saying ‘Atmanirbhar’. Yes, Atmanirbhar; we want to cover all the Indian population. I heard very passionately Supriya Sule *ji* telling us about Dalit, *shoshit*, *peedit* and the *vanchit*. I am very much with you on that. If we have to cover *shoshit*, *peedit* and the *vanchit*, the Prime Minister has come up with Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Why is that? It is because we want to ensure that. In that, if I know the details, many hon. Members know it, for one rupee per day, you are able to insure your life. If there is any accident, if the breadwinner of the house loses a limb, he gets the money; he pays one rupee per day. It is possible only because the Prime Minister had really spent a lot of time in understanding how to bring the premium down. All that is possible only if you are going to expand the scope, expand the universe of people to be covered. That is got to be done only when you have the insurance sector being dealt with greater resources. The Government alone cannot do it all. On that ground, we are consistent. That is why the public enterprise policy, about which I will explain in a minute, has expanded to say, the Government will have to do; the private sector should also have a role to play. Otherwise, that aspiration of a growing India is not going to be met within our time so that we see the changes which are so

important for us. If that is the spread of insurance, it is very important also for us to recognise what impact it has on job creation.

And, as much as all of us are concerned, what will happen to the employees of LIC. I will stand by them. I may tell you that every word of all the assurances, all the commitments, made to each one of the employees will be safeguarded by this Government. But what will happen to the private sector employees? It is all right, they can close their company without money. Who is going to give them equity for building the business? If they shut the organisations, what will happen to the employees? Does the Government of India have a responsibility towards them also?

You may just see the employment in public sector vs private sector. In public sector life insurance companies, 1,11,000 people are employed. Whereas, the number of people employed in private sector are 1,81,000. Inclusive of agriculture, 54,000 people are employed in public sector and 86,000 people are employed in private sector. Taking the total, the number comes to 1,65,000 people employed in public sector and 2,67,000 people are employed in private sector. There is a difference of one lakh people between the two. There are people working as insurance agents, as employees of companies. Even they are the citizens of this country. Even the companies for which they are working for, are Indian companies. They also need money. If this is the number of people directly employed in those companies, take the number of the agents who are working for these companies. I am not dividing between life insurance and general insurance just to save time. In public sector 15,45,000 people are working as agents. Some hon. Members also talked about the credibility of the agents in the villages. All of us are aware of that and their number is, 15,45,000 in public

sector. In private sector today, looking at the rapid growth of insurance companies in India post increasing the cap in 2015, 21,04,000 people work as agents. Does the Government have to keep them in mind or not? We will have to keep them in mind. Therefore, the total number of employees and also the agents are 17 lakh in public sector and approximately 24 lakh in private sector. There is a gap of seven lakh between the public sector and private sector employment. So, we should keep in mind that even those who are working in private sector insurance companies, are growing rapidly because there is an opportunity in this country.

Madam, I do not want to take the precious time of the House on penetration, density or coverage. There are details available. Many Members have even referred to it during their interventions. The one thing which I want to underline here is the FDI limit for insurance intermediaries. Insurance is one thing and intermediary is another. FDI limit for insurance intermediaries has been enhanced to hundred per cent, sometime in September 2019 itself. So, today we are only talking about the insurance companies and not the intermediaries.

Whilst I answer some of the points specifically raised by the hon. Members, I will probably also explain a lot of questions which have been raised by other Members. Hon. Member, Shri Manish Tewari has said that the public sector's presence in insurance, banking in India has protected India at a time when there was global financial crisis in 2008. Yes, there is no dispute about it. But today it has grown too much into the private sector also, as I have explained in the data.

There is also a talk about selling the family silver. It is not at all true. We are only strengthening the Indian insurance sector. Nobody is

selling anybody's family silver. By increasing the admissible FDI limit from 49 per cent to 74 per cent, the Government is making sure that the private sector is able to raise its resources.

We are not talking about the public sector here. Why does one have to worry about the private sector? It is because of the expanse, growth, coverage, and number of people employed there. So, for them also, the Government has to do something. As I have said earlier, public sector may receive public funds. But what happens to that sector which is now desperately wanting to grow to have a better coverage? Therefore, it is important to recognise that.

I go back to talking about the PSE policy. Banking, Financial Services and Insurance are recognised as a strategic sector. So, the presence of the public sector will continue. So, those of us who are very quick to say that by selling family silver, the Government is going to finish off all the public sector undertakings, I would say, 'not at all'. The public sector undertakings will continue because we have already recognised in the policy that banking, insurance and financial sector constitute a part of this strategic sector, as was announced by me during the Budget in this august House. So, there will be public sector in this area. However, let us not forget the fact that we cannot afford to lock up all the public investments in this area in public sector undertakings -- be it insurance or banks.

The policy, therefore, is about right-sizing -- right-sizing the public sector. It is also about unlocking value and investment made in PSE beyond the required size needed for a strategic presence. That is why, when the policy says that we will keep a bare minimum of public sector undertakings, these are the strategic areas and we will keep them and



they will continue to be there. For them, the public funds will be available. But for the private, I repeat, they need to raise money.

I am not sure whether Shri Shyam Singh Yadav Ji, an hon. Member from Jaunpur, U.P., is present here or not. ...(*Interruptions*) He is here. I am very grateful to him that he spoke in Tamil. \*He said: "I am opposing this policy."\* I am happy. I feel sorry that you are opposing but I am happy because you said that in Tamil.

He said it in Tamil. ...(*Interruptions*) I was very impressed that you have said it in Tamil. ...(*Interruptions*) You are fond of Tamil. I am so happy and impressed. ...(*Interruptions*) Thank you very much.

**AN HON. MEMBER:** We all are impressed to know about it.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** However, I wished that you had said that you support the Bill because it is worthy of support. However, because you have opposed it in Tamil, I give you a gentle reply and leave it at that.

I have already expressed as to why we need to have the penetration. Since the penetration is happening, we also need to give them the window for raising resources and therefore, we have this Bill. You attempted in Tamil and I will attempt in Hindi. आपने कहा कि हिन्दुस्तान का पैसा बाहर ले जाएंगे । Did you say that?

महोदया, कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा । हमारा इंश्योरेंस का पैसा हमारे यहाँ ही रहेगा और उससे ऊपर भी, जैसे बोलते हैं कि और तो और, even then, one portion of *munafa* will be kept in India. So, you can be assured, Sir. Shall I say this in Tamil in case you understand it better then?

**श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर):** मेरा बहुत सिम्पल प्रश्न है, अगर वह फॉरेन एंटिटी यहाँ बिजनेस करने आएगी तो जो हमारे इंश्योरेंस का पैसा है, क्या देर-सवेर वह उसे लेकर जाएगी या वह उसे यहीं छोड़ जाएगी?... (व्यवधान)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Madam Chairperson, through you, I wish to inform the hon. Member that actually after 2015, when the ceiling was raised, insurance penetration rose from 3.76 per cent to higher levels and between 2011 and 2014, in the absence of required investments, Indian insurance penetration actually dropped from 4.10 per cent to 3.30 per cent.

So, it actually comes down when enough liquidity is not available. Therefore, we have to open up. What is the penetration? It is the premium to the GDP ratio. It can only increase if insurance sector grows at a faster rate than the GDP growth itself. That is why, between 2015 and 2020, it grew at about 74 per cent when the GDP grew overall at about 63 per cent. That rapidity in growth is what has made a difference to the insurance sector. So, I want to just ensure that Members are aware of that.

Dr. S.T. Hasan is not here. I want to say one line, although I did have a few things to tell. One line which hon. Member said was that FDI proposal is to sell LIC. No. I repeat hon. Member is not here, this Bill has nothing to do with LIC. So, let that confusion not prevail.

A few questions were raised by hon. Supriya Sule Madam. East India Company – No; Atmanirbhar Bharat – yes; monetisation – yes, but no selling of silver. I will tell you how. Also, I am very grateful indeed that you spoke in such glowing terms about our leaders - Shrimati Sushma Swaraj Ji and about Shri Arun Jaitley Ji. They always conducted themselves and they have all been such mentors for us in

such exemplary way that you recognise them, absolutely proper and all of us do feel the same thing about them. So, the positions that they took then were absolutely in alignment with what was the prevailing situation then. The prevailing situation then did not allow, and in the form in which the UPA Government at that time was talking about the Bill, did not allow for safeguards. And what is the change today? We have made adequate safeguards and such safeguards will ensure that the Indian policyholders' money will be retained in India. The safeguard is the difference Madam. At that time, both our leaders stood up to say 'we oppose'. It is because the kind of safeguards which were envisaged then were not adequate.

On the issue of monetisation, monetisation does not mean that the entire thing is being sold off. Every such PSU which is carefully identified, which is sitting over, a vast chunk of assets which are not being used or cannot be used in the next 40 or 50 years, is the one which is getting carved out carefully and then valuated and after valuation, it is being monetised. So, it is not as a total ripping off. So, monetisation is done carefully without depriving any future plans that these undertakings will want those assets for and obviously, it will generate liquidity and therefore, it is important.

I did mention about the ownership and control. The maturity of the Indian insurance companies is one thing which we have to keep in mind. In the last few years, it is evident in the numbers that we are talking about. I said the number of total insurers has increased from 53 to 68 within a span of five years; listed insurers have also increased. I said six of them have got listed. And asset under management has risen from Rs. 24 lakh crore to Rs. 42 lakh crore as of March, 2020. So, all this absolutely creates an ecosystem where the proposed FDI is only

going to help with all the safeguards it has to get more investments and also competition. No such safeguards were there in the Bill between 2008 and 2009 and that is why, we had to change, and we have ensured that.

Madam Chairperson, I think, many things were said by Shri Arvind Sawant ji, but I want to underline the fact that, he is not here and so I do not need to elaborate, but the fact remains he was focussed on LIC whereas this one is about general insurance.

I will respond to only one-line which hon. Member, Shri Jasbir Singh Gill said, which, I think, is very unfair and I would seek him to re-think his lines, he said – हमारा सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? सर, हमारे बैंक के हालत ...(व्यवधान) प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन, में वे सब खड़े होने के कारण, नेशनलाइजेशन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, मगर करप्शन को नेशनलाइज करने वाले यूपीए की पिछले दस साल की सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा बिगाड़ने वाले काम यूपीए सरकार के द्वारा पब्लिक सैक्टर बैंक्स में हुए हैं। वे बिगाड़ने वाले काम कर के गए हैं। उसको सही करने की मेहनत माननीय मोदी जी के द्वारा हो रही है। आपने अपनी स्पीच में नीरव मोदी, चोकसी वगैराह का जिक्र किया। ...(व्यवधान) उन सबका पालन-पोषण करने वाले आप ही थे। हम उनके पीछे-पीछे जा कर उनको इस देश के कानून के सामने खड़ा करने के लिए हम उनको वापस ले कर आ रहे हैं। इसलिए हमारा सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? ...(व्यवधान) आप जरा अपनी डायनेस्टी से पूछ लीजिए। आपके परिवार जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि इस देश को बिगाड़ने वाले काम क्यों कर रहे हैं। उस पार्टी के आप वरिष्ठ मेंबर हैं। ... (व्यवधान)

Hon. Chairperson, Sir, I think I have largely responded to all the hon. Members and I would like to request all the Members, through you,

to kindly consider this Bill and help us pass it.

Thank you very much.

**माननीय सभापति:** प्रश्न यह है :

“कि बीमा अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने वाले विधेयक,  
राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय सभापति :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

## **Clause 2      Amendment of section 2**

**माननीय सभापति :** श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):** Madam, I beg to move:

Page 1, line 9,--

for “seventy-four”

substitute “forty-nine”. (1)

**माननीय सभापति :** अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड दो में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Madam, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

**माननीय सभापति:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

**14.54 hrs**

## **MATTERS UNDER RULE 377\***

**माननीय सभापति:** जिन माननीय सदस्यों को आज 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों को, अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें ।